वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अप्रेल 2018 से 2019

राजसमन्द जन विकास संस्थान

राजसमन्द महिला मंच

महिला विकास केंद्र , नाथद्वारा रोड , सोमनाथ चौराहा , कांकरोली – 313324 , जिला राजसमन्द , (राजस्थान) भारत

E – MAIL : rjvs10@yahoo.in telephone – landline +91 –(2952) 221909

Website : WWW.rjvs.org.in Facebook : rajsamand jan vikas sansthan

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विषय	पेज संख्या
1	• संस्थान का परिचय • संस्थान का कार्यक्षेत्र • संस्थान के उद्देश्य	3
2	जागृति परियोजना (AJWS) • परिचय • उद्देश्य • गतिविधिया • प्रभाव	
3	हुँकार परियोजना (एक्शन - एड) • परिचय • उद्देश्य • गतिविधियाँ • प्रभाव	
4	महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र(राज्य महिला अधिकारिकता) • परिचय • उद्देश्य • गतिविधियाँ • प्रभाव	
5	महिला मंच ब्लोक परियोजना/ नारी अदालत • परिचय • उद्देश्य • गतिविधियाँ • प्रभाव	
6	शैक्षणिक अनुदान :- छगनलाल स्वरूप चन्द्र सेठी द्वारा • परिचय • उद्देश्य • गतिविधिया • प्रभाव	
7	गर्ल्स नोट ब्राइड • परिचय • उद्देश्य • गतिविधियाँ • प्रभाव	
8	जागोरी संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस)	
9	संस्थानों के साथ नेटवर्क	

10	संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यशालाओ भाग लिया गया	
11	सरकारी योजनाओ से दिलवाए गए फायदे	

राजसमन्द महिला मंच :-

राजसमन्द जिले में राजसमन्द महिला मंच महिलाओं का एक बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में राजसमन्द जिले में की गई | इससे पहले जिले में ऐसी कोई संस्थान नहीं थी जो की महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रहीं हो | शुरुआत आस्था संस्थान के सहयोग से जिले के एक ब्लॉक से की गई , धीरे – धीरे इसमें महिलाये जुड़ने लगी और अपने हक़ व् अधिकारों पर चर्चाए करने लगी | ये वो समय था जब महिलाये अपनी पीड़ा , समस्या , समाधान के लिए घर से बाहर नहीं निकलती थी और न ही गाँव से तहसील या जिले तक आने के उपयुक्त संसाधन थे तब राजसमन्द महिला मंच अँधेरे में एक दीए के समान था | जिसकी रोशनी में उन्हें घर से बहार निकलने के लिए हिम्मत प्रदान की और अपनी जैसी अनेक महिलाओ के साथ जुड़ कर उन महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास आया इस तरह एक के बाद एक अन्य सभी तहसील की महिलाये उनके साथ जुड़ने लगी | अब ये संगठन जिले में एक मजबूत संगठन है और इसमें हजारों महिलाए जुड़ रही है |

संस्थान का परिचय

राजसमन्द जन विकास संस्थान – राजसमन्द जन विकास संस्थान की स्थापना राजसमन्द जिले में वर्ष 2003 में की गई | संस्था समाज में महिलाओ के साथ हो रही असमानता और भेदभाव को दूर करने एवं मुख्य रूप से पिछड़े व् गरीब वर्ग की महिलाओं पर जाति , वर्ग और लिंग के आधार पर हो रहे अत्याचारों से निजात दिलवाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहीं है और समाज में उन्हें सम्मान के साथ बराबरी का दर्जा दिलवाने का प्रयास कर रही है | विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उनकी समस्याओं के विरुद्ध जनमत बनाकर जिला स्तर पर महिला मंच संगठन का भी गठन किया गया है | जिससे क्षैत्र में महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद हुई है | सरकार द्वारा संगठन को जमीन देकर तथा जापान द्वारा फण्ड देकर वर्ष 2015 में महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई | आज इसी केंद्र में संस्थान द्वारा कई परियोजना संचालित की जा रही है | जिसके द्वारा जिले , राज्य व् राष्ट्र में महिला हक़ के मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है | ताकि वो जागरूक होकर समानता, सम्मान व् न्याय के लिए आवाज उठा सके |

उद्देश्य

- जिले में महिलओं को समाज में एक इंसान के रूप में पहचान दिलवाने के लिए कार्य करना |
- जिले में महिलओं की सामाजिक , आर्थिक , शैक्षणिक व् राजनैतिक स्थिती को बेहतर बनाना |
- सर्वजन के लिए विशेष कर महिलाओ और युवाओं के लिए भागीदारी न्याय , सम्मान व् समानता युक्त समाज का निर्माण करना |
- विकास की प्रक्रिया में महिलओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला हिंसा को दूर करना |
- गाँव , तहसील और जिला स्तर पर महिलओं और युवाओं को संगठित कर शक्तिशाली बनाना |
- महिला हिंसा के वास्तविक कारण जैसे – बाल – विवाह , नाथा प्रथा, दहेज़ प्रथा , डायन प्रथा अशिक्षा और अन्य सामाजिक कुरूतियों को ख़त्म करने के लिए जानकारी प्रदान करना है |
- गरीब महिलओं और युवाओं के आर्थिक विकास व् आय संवर्धन के लिए के लिए कार्यक्रम चला कर उन्हें सशक्त करना है |

वर्तमान में संस्थान द्वारा छ: परियोजना संचालित की जा रही है

1 **जागृति परियोजना :- ajws** के सहयोग से सन 2015 से किशोर / किशोरियों को सशक्त करने व् बाल – विवाह से होने वाले नुकसान बताकर स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना |

2 **हुँकार परियोजना** :- (Action aid) के सहयोग से सन 2017 डायन प्रथा पर बने कानून की जानकारी देकर कानून को लागू कराने और डायन पीडित महिला को उनका अधिकार न्याय व् सम्मान के लिए जिला स्तर तक पैरवी कर न्याय दिलवाना |

3 **महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र**–(राज्य महिला अधिकारिकता विभाग) जिला एवं राज्य स्तर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओ के लिए महिला थाना कांकरोली राजसमन्द में राजसमन्द जन विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2015 से संचालित की जा रही है

4 **गर्ल्स नॉट ब्राइड :- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर** की संस्थान है | जो किशोरियों के साथ 90 देशो में बाल विवाह रोकने का कार्य कर रही है

5 जागोरी संस्थान :- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थान है | जो महिलाओं के अधिकारों व् महिला हिंसा के मुद्दों पर कार्य करते है |

6 **शैक्षणिक अनुदान –** छगनलाल स्वरूपचंद चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बेसहारा गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अनुदान दिया जा रहा है |

7 महिला मंच :- नारी अदालत यह परियोजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला मंच द्वारा संचालित है | केंद्र पर आई हिंसा से पीड़ित महिलाओ को राहत दिलवाना |

|

जाग्रति परियोजना का परिचय - जाग्रति परियोजना मे किशोरी बालक एवं बालिकाओ का विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है जेसे – क्षमतावर्धन प्रशिक्षण , आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण , आजीविका प्रशिक्षण , लिंग असमानता ओर लिंग सवेदनशीलता पर कार्यशाला , महिला स्वास्थ्य पिता –पुत्री संवाद कार्यक्रम आदि । जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय जेसे की शिक्षा, विवाह एव रोज़गार खुद के चुनाव एवं सहमति से ले सके एवं खुशहाल ज़िंदगी जी सके। परियोजना राजसमन्द जिले के खमनोर ,रेलमगरा, राजसमन्द ब्लॉक के 7 ग्रामपंचायत के 30 गाँवों में संचालित की जा रही है |

परियोज़ना के उद्देश्य

- *किशोर - किशोरियों को सशक्त करना।*
- *जल्द एवं बाल विवाह रोकना*
- *युवा पीढ़ी और होने वाली संतानो के स्वास्थय में सुधार लाना।*
- *इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त करना*

❖ **गतिविधि विवरण -**

1. किशोरी बैठके -

किशोरी समूह बैठक करते हुए कार्यकर्ता किशोरी समूह बैठक करते हुए कार्यकर्ता व् सलाहकार

अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक कुल 20 गाँवो 280 किशोरी समूह बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे कुल 5600 किशोरियों ने भाग लिया | इस समय में किशोरी समूह में मुख्य रूप से –किशोरी समूह को मजबूत करना ,किशोरियों का क्षमतावर्धन,के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना शिक्षा एवं उनके जीवन के प्रति प्रेरित करना ,करियर गाइडेंस,किशोरियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना , यौन हिंसा की जानकारी देना लड़कियों से जुड़े मुद्दों की जानकारी ,गुड टच – बेड टच , स्वच्छता , गाँव के विकास में स्वयं की भागीदारी सुनिशिचित करना आदि मुख्य एजेंडा रहा |

2. **किशोर बैठके -** अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक कार्यक्षेत्र भामखेडा एवं कुंचौली 2 गाँव में कुल 14 किशोर बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे कुल – 210 किशोरों ने भाग लिया है | इस वार्षिक समय में किशोर समूह में मुख्य रूप से – किशोर समूह को मजबूत करना ,किशोर का क्षमतावर्धन प्रशिक्षणों का आयोजन , शिक्षा एवं उनके जीवन के प्रति प्रेरित करना ,करियर गाइडेंस, नेतृत्व क्षमता , क़ानूनी जानकारी , कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी देना | स्वच्छता , गाँव के विकास में स्वयम की भागीदारी सुनिशिचित करना आदि मुख्य एजेंडा रहा |
3. **महिला बैठके –**

कार्यकर्ताओं द्वारा महिला बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा महिला बैठक लेते हुए

राजसमन्द जिले के 7 ब्लॉक के 50 गाँवों में महिलाओं के साथ महीने में2 महिला समूह बैठक का आयोजन किया गया इस प्रकार7 माह में कुल 700 समूह बैठकों का आयोजन हुआ और उसमे 10 ,500 महिलाओं में भाग लिया|

- **महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ एवं जागरूकता हेतु गाँव स्तरीय समूह बनाना**
- **ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाना एवं उसको मजबूत करना**
- **जरूरतमंद परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना,**
- **किसी भी परिस्थति में अपने बच्चो का बाल– विवाह नही करना एवं उनको शिक्षा से जोड़ना उनके सपनो को पूरा करने के लिए मदद करना ,**
- **महिलाओं से जुड़े संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी प्रदान करना, कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की जानकारी एवं समझ बनाना, कार्यस्थल पर यौन शोषण के रोकथाम हेतु बने कानून एवं उसके प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना |**

4. **किशोर - किशोरी मित्र रिव्यू बैठकें, राजसमन्द जन विकास संस्थान कार्यालय,राजसमन्द –**

अप्रैल 2018 से मार्च 2018 तक तक के समय में प्रत्येक माह में जिला स्तरीय संस्थान कार्यालय– सौमनाथ चौराहा कांकरौली में किशोर – किशोरी मित्र मासिक रिव्यू बैठक का नियमित आयोजन किया गया तथा कुल 12 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे 196 किशोर – किशोरियों ने भाग लिया | इन बैठकों में मुख्य रूप से किशोरी – किशोर बैठकों का फोलोअप , रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण ,

आगामी आयोजना , प्रेरणादायक विडिओ एवं डॉक्युमेंट्री दिखाकर उनको उनके जीवन के सपनो के प्रति प्रेरित किया गया एवं कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई | किशोर – किशोरियों के नए – नए मुद्दे निकलकर आए उन पर चर्चा करके उनकी समझ को ओर गहरा किया गया|

5. महिला मित्रों की मासिक बैठके, राजसमन्द जन विकास संस्थान कार्यालय,राजसमन्द –

प्रत्येक माह के अंत में राजसमन्द जन विकास संस्थान के सभी प्रोजेक्ट के साथियों के साथ एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया इस प्रकार कुल 7 मासिक बैठकों का आयोजन किया गयाजिसमे राजसमन्द जन विकास संस्थान के निदेशक श्रीमती शकुंतला पामेचा ,श्री अरविन्द पामेचा सलाहकार,महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र से श्रीमतीसंगीता चौधरी,हुँकार परियोजना से सुश्री प्रेक्षा पामेचा,जागृति परियोजना से सुश्री फैन्सी कुमारी ने भाग लिया| बैठक में सभी साथियों ने अपने– अपने प्रोजेक्ट की माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को शेयर किया एवं चुनौतियों के समाधान सभी साथियों ने मिलकर निकाले एवं सुझाव दिए गए| उसके बाद सभी ने मिलकर अगले माह की आगामी आयोजना बनई गई|

6. ब्लॉक स्तरीय बैठकों की रिव्यू बैठके, राजसमन्द जन विकास संस्थान कार्यालय,राजसमन्द – प्रत्येक माह के अंत में राजसमन्द जन विकास एवं जागृति परियोजना के सयुक्तत्वाधान में संस्थान कार्यालय सोमनाथ चौरहा, कांकरौली में महिला मित्रो की एक दिवसीय मासिक रिव्यू बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे कार्यक्षेत्र के 7 ब्लॉक – रेलमगरा , खमनोर , कुम्भलगढ़ , भीम , देवगढ़ , भीम , आमेट , राजसमन्द महिला मित्र एवं संस्थान की और से श्रीमती शकुंतला पामेचा, श्री अरविन्द पामेचा , सुश्री फैन्सी कुमारी , सहित कुल 14 सहभागियों भाग लिया |

बैठक का मुख्य उद्देश्य –

- ब्लॉक बैठकों एवं महिला समूह बैठकों का मूल्यांकन,
- महिला मंच के सदस्यों बनाने की जानकारी / संख्या,
- आगामी आयोजना ,
- महिला समूह नेतृत्वकर्ताओ का सभी गाँवों में चयन करना |
- कार्यो के दौरान आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करके आगे की रणनिति बनाना | ,
- कार्यक्रम , प्रशिक्षण की आयोजन ,तैयार करना |
- जरुरतमंदो को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना |

7. युवा एवं बाल – वधुओ का सर्वे – बाल –विवाह के मुद्दे एवं किशोरियों के साथ काम करने से सिख मिली की घर या परिवार में सबसे ज्यादा अगर हिंसा का सामना करता है तो वह है घर की वधुए जिनका बाल –विवाह हो गया है लेकिन उनके साथ काम करना भी उतना ही कठिन ! उनके साथ बात करने से पहले उनकी सास से अनुमति लेनी पड़ती है फिर उसके पति से टीम ने इस विषय पर चर्चा करी और मिलकर सामूहिक रणनीति बनाई की इनके साथ काम करने से पहले सभी गाँव का सर्वे करेंगे और उनको शिक्षा से जोड़ेंगे |

गाँव अनुसार युवा एवं बाल – वधुओ का सर्वे के दौरान –कुल 20 गाँवो में 214 बाल वधुए निकलकर आई

बाल – वधुओं के साथ एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला –

बाल – वधुओ के साथ एक दिवसीय " महिला स्वास्थ्य कार्यशाला में श्रीमती पुष्पा सैन द्वारा स्वस्थ पर चर्चा करते हुए

राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं जागृति परियोजना के सयुक्तत्वाधान में 16 से 25 वर्ष की बाल – वधुओ के साथ एक दिवसी**य " महिला स्वास्थ्य "** पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे कुल 26 बाल वधुओ ने भाग लिया | कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति के तौर पर अर्थ संस्थान उदयपुर श्रीमती पुष्पा सैन ने कार्यशाला में महिला स्वास्थ्य पर संदर्भ प्रदान किया |

उद्देश्य –

I. युवा बाल वधुओ को स्वास्थ्य के प्रति जानकारी एवं जागरूक करना |
II. बाल –विवाह कानून एवं बाल –विवाह से होने वाले जीवन पर प्रभावों की जानकारी बढ़ाना |
III. युवावधुओ के अपने जीवन के अनुभव साझा करना |

मुख्य विषय : -

- जल्द /बाल –विवाह के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रभाव
- प्रेग्नेसी डिले करने के सरल तरीके / प्रसाधनो की जानकारी
- सुरक्षित यौन संबंधो के तरीको / प्रसाधनो की जानकारी – फिमेल कंडोम
- जल्द बच्चे पैदा होने पर शरीर एवं जीवन पर प्रभाव
- पोषण से जुडा सेशन
- गर्भावस्था के दोरान जाँच पड़ताल ,टीकाकरण एवं सावधानिया
- शारीरिक जानकारिया एवं साफ – सफाई
- बाल –विवाह से फायदा /नुकसान समूह चर्चा आदि रहा |

शिक्षा से वंचित किशोरियों का सर्वे –1 अप्रैल से 20 अप्रैल बाल – विवाह की जागरूकता हेतु विशेष अभियान का आगाज – किया गया गाँव अनुसार शिक्षा से वंचित किशोरियों का सर्वे किया गया सर्वे के दौरान – कुल 20 गाँवो में 137 शिक्षा से वंचित किशोरियों निकलकर आए

बालिका शिक्षा बढ़ाने एवं बाल – विवाह रोकने के लिए " नानी ने मत रोको – भणवा जावा दो " जागरूकता अभियान के तहत लडकियों - महिलाओ के लिए गाव – गाव में शिक्षा के शिविर –

शिक्षा से जोड़कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से10 और 12 कक्षा के फॉर्म भरे :- राजसमन्द जन विकास संस्थान , महिला मंच राजसमन्द , अमेरिकन जुइस वर्ल्ड सर्विस के सयुक्ततत्वाधान में जागृति परियोजना के तहत बालिका शिक्षा बढ़ाने एवं बाल – विवाह रोकने के लिए " नानी ने मत रोको – भणवा जावा दो जागरूकता अभियान "1 अगस्त से संचालित इस अभियान के तहत शिक्षा से वंचित लडकियों महिलाओ को पुन : शिक्षा से जोड़कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10 और 12 कक्षा के फॉर्म भरने के लिए गाव –

गाव में शिक्षा के शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत कार्यक्रम हर गाव में रैली किशोर ,किशोरी ,महिलाओ ,युवाओ – पुरुषो के साथ बैठके ,स्कूलो के साथ कार्यशालाए रात्रि चोपाल पोस्टर पेस्टिंग घर – घर सम्पर्क ,माता – पिताओ के साथ संवाद ,शिक्षा शिविर कार्यक्रम किये गए |

शकुंतला पामेचा , कार्यक्रम निदेशक , राजसमन्द जन विकास संस्थान– समाज के विकास के परिपेक्ष्य में चिंता जनक आंकड़े बताते हुए कहा की - राजसमन्द जिले में 54% शादिया बाल – विवाह है महिलाओ की साक्षरता64% है शिक्षा एवं विकास से वंचित समुदाए की 80%लडकिया 10 कक्षा तक नही पहुँच पाती है|

इसलिए जागृति परियोजना के तहत बालिका शिक्षा बढ़ाने एवं बाल – विवाह रोकने के लिए " नानी ने मत रोको – भणवा जावा दो जागरूकता अभियान "1 अगस्त से 31 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमे 10 एवं 12 कक्षा के ओपन फॉर्म के लिए आवश्यक है – इस फॉर्म को हिंदी पढने - लिखने में सक्षम कोई भी व्यक्ति भर सकता है | इस अभियान के तहत विकास एवं शिक्षा से वंचित समुदाए की लडकिया एवं **युवा बाल – वधुओ को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया और100 किशोरियों एवं युवा बाल –वधुओ को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया |**

बाल – विवाह रोकथाम हेतु आखातीज के अवसर पर विशेष बाल – विवाह जागरूकता अभियान –

आखातीज के अवसर पर विशेष बाल – विवाह जागरूकता अभियान में भाग लेते हुए ग्राम वासी

राजसमन्दजन विकास संस्थान एवं जागृति परियोजना के सयुक्तात्वधन में आखातीज पर विशेष " 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बाल विवाह रोको जागरूकता अभियान " का आगाज किया गया | राजस्थान में अप्रैल माह में शादियों का माहौल रहता है जिसमे एक आखातीज या अक्षय तृतीय नाम से अबूझ सावो का त्यौहार जिसमे बिना सावे निकले ही लड़के लडकियों की शादिया की जाती है जिसमे अधिकतर बाल –विवाह होने की संभावनाए बढ़ जाती है | साथी यह चलन है " **बडी बहनों के साथ छोटी बहनों**" की शादिया की तथा मेवाड़ क्षेत्र में एक " **गोल विटी** " नाम से एक धार्मिक संस्कार होता है जिसमे प्रत्येक परिवार में 5 वर्ष के बाद बच्चे को अपने कुल देवता के नाम से अंगूठी पहनाते है उसमे बढ़ी धूमधाम से अपने सगे संबंधियों को निमत्रण दते है और शादी जैसा कार्यक्रम करते है | इस तरह के चलते धार्मिक परम्पराओ एवं रिति - रिवाओ में 50% शादिया बाल –विवाह होने की सम्भावना रहती है |

गतिविधिया

महिलाओ के साथ बैठक ,किशोर –किशोरियों के साथ बैठक , रात्रि चौपाल , घर –घर संपर्क , स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद ,पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद ,बाल –विवाह संभावित परिवारों के साथ संपर्क समझाइश,रोकथामआदि रहा |

अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा बाल अधिकार सरक्षण विभाग के सयुक्तत्वावाधन कलेक्ट्री परिसर राजसमन्द से रैली द्वारा किया गया |

अभियान का मुख्य उद्देश्य –

- **समुदाए में बाल –विवाह न हो की जागरूकता एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना,**
- **किशोर – किशोरियों को उनके जीवन के सपनो के प्रति प्रेस्ति करना**
- **बाल –विवाह संभावित परिवारों के साथ संपर्क, समझाइश,रोकथाम,**
- **बाल –विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की समुदाए तक पहुंच एवं उसका क्रियान्वयन**
- **अभियान के**

अभियान का समुदाए पर प्रभाव "":-

- समुदाए 5,000 लोगो तक बाल –विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल –विवाह शुन्यकरण की पहुँच एवं क्रियान्वयन ,
- बाल –विवाह की जागरूकताबढ़ी एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी ,
- समुदाए में खुले आम बाल –विवाह करने में डर पैदा हुआ ,
- लडकियों के लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ |
- लडकियों को अपनी बात रखने का मंच मिला जहा वे अपनी बात बेझिझक अपनी बात रख सकती है |

शहर के दस गाँवों एवं बस्तियों में लीडर्स का चयन – संस्थान के कार्यक्षेत्र को बढाने एवं महिलाओं एवं लड़कियों के साथ जेंडर आधारित होने वाले भेदभावो ना हो की जागरूकता का क्षेत्र बढाने , इस बदलाव की मुहीम में लोगो का जुडाव बढे आदि उद्देश्य से खमनोर एवं रेलमगरा एवं राजमसंद,10 गाँवों में जागृति परियोजना टीम ने द्वारा सर्वे किया गया एवं गाँवों की स्थति की जानकारी ली गयी एवं आंकड़ा एकत्रित किया गया ताकि अगले वर्षो के कार्य में उन शिक्षा एवं विकास से वंचित समुदाए के साथ काम किया जा सके |

समुदाए के साथ जागरूक बैठकें का आयोजन – अमलोई , खानिया बस्ती –

अमलोई गाँव में समुदाए के साथ जागरूक बैठक – अमलोई गाँव में बाल – विवाह था तब एक किशोरी मित्र उसकी सूचना पुलिस थाना कांकरोली में दी उसके बाद में गाँव में बाल –विवाह संपन्न परिवार में पुलिस आ गई ओर बाल –विवाह का विरोध किया ओर पैसे लिए तो गाँव में हाहाकार मच गया | कानून में नियम है बाल – विवाह की सुचना कोई भी दे सकता है और उसकी सुचना गोपनीय रखी जाती है आपको ये सूचना किसने दी | बाल – विवाह नही हो लडकिया आगे पढ़े और उनके जीवन के सपने पुरे हो उसकी जागरूकता के लिये काम करते है | संस्थान के कार्यकर्ताओ द्वारा फिर से लडकियों के लिए सकारत्मक माहौल बनाया और गाँव वालो का लडकियों के प्रति भरोसा बनाया जिसमे किशोर / किशोरियां महिला मंच की मीटिंग में जिला स्तर पर आने लगे | गाँव मै किशोरी समूह की बैठक अभी नियमित रूप से कर रहे है गाँव की लडकियों भी समूह की मीटिंग में आ रही है |

15 अक्टूबर ,खानिया बस्ती में समुदाए के साथ जागरूक बैठक –

खानिया बस्ती बंजारा समुदाए के मोहल्ले में बैठक संबोधित करते हुए श्री अरविन्द पामेचासलाहकार

खानिया बस्ती बंजारा समुदाए का मोहल्ला है | गाव में लडकिया 20 वर्ष से ज्यादा उम्र की है छोटी लडकिया मुश्किल से 5वीं कक्षा तक पढ़ती है वो भी अगर गाव में स्कूल है तो नही तो कोई लडकियों को नही पढाते है ,पढ़ाने के लिए कहते है तो बोलते है की हमारा समाज घुम्मकड़ है और हमारी आदमी ज्यादातर बाहर रहते है तो लडकियों की देखभाल कौन करे कही रास्ते में कुछ हो जाए तो | इसलिए हम लडकियों को नही पढ़ाते है | हमने उनको राजस्थान स्टेट ओपन फॉर्म की जानकारी दी और लडकियों , उनके माता –पिता को अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए जागरूक किया , जिसमे 5 लडकियों ने फॉर्म भरने के लिये खुश हुई | वहा संस्थान की ओर से किशोरी समूह बना हुआ है जिसमे 20 लडकियां जुडी हुए है और वे महीने में दो मीटिंग लेती है जिसमें वे अपनी समस्या से जुडी बातें करती है एवं समाधान के लिए आगे रणनीति बनाती है | अक्टूबर माह में खानिया बस्ती की कोई एक लड़की किसी लड़के के साथ अपनी इच्छा से चली गई |" **किसी भी समुदाए में किसी लड़की का अपनी इच्छा से किसी लड़के के साथ कहीचले जाना उसको बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है उसको फिर सामाजिक दंड एवं हत्या तक का सामना करना पड़ता है"** | उस लड़की के चले जाने से गाँव की सभी लड़कियों को संस्थान की मीटिंग में आना बंद करवा दिया और कहने लगे की लडकियां बाहर जाने से बिगड़ती है | कोई लड़की घर से बाहर नही निकलेगी जो भी करना है घर में रहकर करों | यह बात हमें हमारी किशोरी मित्र ने बताई तो हमें बहुत गंभीर मुद्दा लगा और हमने इस बात की हमारी संस्थान टीम में चर्चा करी और रणनीति बनाई की हमें गाँव में जाकर गाँवों वालो के साथ जागरूक मीटिंग रखनी चाहिए | **संस्थान के कार्यकर्ता ने पुरे गाँव को इकट्ठा करके बात करी की हम बाल– विवाह नही हो, लडकिया आगे पढ़े और उनके जीवन के सपने पुरे हो उसकी जागरूकता के लिये काम करते हैं संस्थान के कार्यकर्ताओ द्वारा फिर से लडकियों के लिए सकारत्मक माहौल बनाया और गाँव वालो का लडकियों के प्रति भरोसा बनाया अब महिला मंच की मीटिंग में जिला स्तर पर आने लगे और गाँव मै किशोरी समूह की बैठक अभी नियमित कर रही है और गाँव की लडकिया भी समूह की मीटिंग में आ रही है|**

आवासीय किशोरी मित्रो की क्षमतावर्धन कार्यशाला–

जागृति परियोजना के द्वारा तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन 29 मई से 31 मई तक किया गया जिसमे रेलमगरा ,खमनोर ,राजसमन्द आदि ब्लॉक के 20 गाँवों की 40 किशोरियों ने भाग लिया | इस कार्यशाला का समापन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व कालिक सचिव एवं न्यायधीश श्री नरेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में हुआ |

राजसमन्द जन विकास संस्थान की कार्यक्रम निदेशक श्रीमती शकुंतला पामेचा– द्वारा कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य बताये किशोरियों की जेंडर एवं यौनिकता के मुद्दों पर समझ बनाना ,किशोरियों का नेतृत्व विकास - क्षमता विकसित करना ,किशोरियों के कानून एवं सरकारी योजनाओ की जानकारी बढ़ाना | इस कार्यशाला में जेंडर ,यौन हिंसा , किशोरी स्वास्थ्य , किशोरियों से जुड़े कानून जैसे बाल –विवाह रोकने ,बालिका शिक्षा का महत्व उनके जीवन के सपने , सरकारी कल्याणकारी योजनाओ आदि मुद्दों पर अलग – अलग विभाग से विशेषज्ञो को संदर्भ व्यक्ति के रूप में बुलाकर किशोरियों की समझ को बढ़ाया गया |

श्री नरेंद्र कुमार जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायधीश– हमारे समाज में बाल – विवाह हिंसक कुप्रथा है जो लडकियों के जीवन को प्रभावित करती है |

श्री अरविन्द कुमार पामेचा, सलाहकार – किशोरियों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया की उनको सशक्त करने , बाल –विवाह रोकने ,बालिका शिक्षा को बढाने के उद्देश्यों से किशोरी मंच बनाने एवं उनका प्रबंधन , सञ्चालन की जानकारी प्रदान करी |

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉ. दीपिका का दाधीच द्वारा किशोरी स्वास्थ्य पर जानकारी दी गई और उनके जीवन में आ रही स्वास्थ्य सम्बंधित परेशानियों की जानकारी लेकर उन्हें उचित सलाह दी गई |

उदयपुर से आई पारुल चौधरी द्वाराजेंडर पर लडकियों की समझ बनाते हुए उन्हें लड़की होने का महत्व समझाया साथ ही पुरुष प्रधान व्यवस्था में महिलाओ के प्रति जो सोच है उस पर जानकारी प्रदान की गई और भेदभाव को लडकियों की दृष्टि से भी जानकारी लेकर समझ बनाई गई |

किशोरी आवासीय शिविर–

राजसमन्द जन विकास संस्थान / राजसमन्द महिला मंच ,जागृति परियोजना , हुंकार परियोजना के सयुक्तत्वाधन में विकास एवं शिक्षा से वंचित परिवारों की ग्रामीण किशोरियों के लिए गर्मियों के छुट्टियों 5 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया | जिसमे रेलमगरा ,खमनोर ,राजसमन्द ,कुम्भलगढ़ ब्लॉक की 30 किशोरिया ने भाग लिया और शिविर में ये किशोरियो ने आत्मसुरक्षा ,ड्राईवरिंग ,जीवन कौशल से जुडी जानकारी प्राप्त करी |

इस आवासीय शिविर में किशोरियों को 5 दिन अलग अलग विभिन्न संदर्भ व्यक्तियों को बुलाकर किशोरियों को जानकारी देकर उनका आत्मविश्वास बढाया गया जिससे वे जागरूक हुई और आत्मनिर्भर हुई है |

प्रियंका वर्मा ,महिला कंमाडो /आत्मसुरक्षा ट्रेनर – पुलिस प्रशासन की और से ग्रामीण किशोरियों को5 दिन आत्म सुरक्षा के गुण सिखाए गए इससे किशोरिया अपने जीवन में खुद की सुरक्षा खुद कर सकेगी

प्रियंका वर्मा ,महिला कंमाडो /आत्मसुरक्षा ट्रेनर – पुलिस प्रशासन की और से ग्रामीण किशोरियों को5 दिन आत्म सुरक्षा के गुण सिखाए गए इससे किशोरिया अपने जीवन में खुद की सुरक्षा खुद कर सकेगी

पुष्पा मेघवाल महिला कमांडो आत्मसुरक्षा / ट्रेनर
हमें ग्रामीण किशोरियों को सुरक्षा के गुण सिखाए गए इनमे किशोरियों का कही बाहर आने– जाने का आत्मविश्वास बढ़ाये / समाज /देश में हो रहे लड़कियों के साथ

शिविर की कहानी – किशोरियों की जुबानी –

- **सुश्री संगीता गमेती ,कुंचौली , किशोरी मित्र** - हमने शिविर में आके ड्राईवरिंग सीखी जिससे हम खुद का काम खुद कर सकते है और दुसरो को भरोसे नही रहेंगे ,आत्मनिर्भर बनेंगे |
- **सुश्री गीता गमेती ,बागोल , किशोरी मित्र –** हमने शिविर के दौरान स्वास्थ्य शरीर के लिए योगा सिखा हम गाँव में जाकर ओर किशोरियों को भी सिखायेगे |
- **सुश्री डाली गमेती ,गुजोल , किशोरी मित्र –** हमने शिविर में आकर अपने जीवन का सपना देखा मै टीचर बनना चाहती हूँ आगे गरीब लडकियों को पढ़ाऊंगी |
- **सुश्री पूनम खटिक ,आमेट , किशोरी मित्र –** शिविर में आने के बाद हमारे अन्दर आत्मविश्वास बढा है और संघर्ष कर आगे बढ़ने की ललक बढ़ी है |
- **सुश्री लीना कुमारी ,समिचा , किशोरी मित्र –** हमने जो यह शिविर में सिखा है वो गाँव में जाकर किशोरी मंच की किशोरियों को सिखायेंगे और स्कूलो में जाकर लडकियों को आत्मसुरक्षा के गुर सिखायेगे |
- **सुश्री कविता यादब ,अरडकीया , किशोरी मित्र –** शिविर में आत्मसुरक्षा के गुर सीखने के वाद कही पर अकेले आने जाने का डर नही है हमारा आत्मविश्वास बढा है की हम खुद की सुरक्षा खुद कर सकते है |

नए किशोरी मित्रों का एक दिवसीय भूमिका एवं जिम्मेदारी प्रशिक्षण –

नये किशोरी मित्रो को प्रशिक्षण देते हुए कार्यकर्ता

नये किशोरी मित्रो को उनके कार्य समझाते हुए कार्यकर्ता

जागृति परियोजना के द्वारा में संस्थान के कार्यालय सोमनाथ चौरहा, कांकरौली में किशोरी मित्र 3 प्रशिक्षण आयोजित किये गया जिसमे कार्यक्षेत्र से कुल 30 किशोरियों ने भाग लिया एवं संस्थान की ओर से श्री अरविन्द पामेचा ,सुश्री फैन्सी कुमारी ,श्रीमती शकुंतला पामेचा ने भाग लिया |

- बैठक का मुख्य उद्देश्य –
  - ✓ किशोरी मित्रो की भूमिका एवं जिम्मेदारी की समझ ओर गहरी करना ,
  - ✓ उनका नेतृत्व विकास ,
  - ✓ संगठन एवं समूह निर्माण की समझ गहरी करना ,
  - ✓ जागृति परियोजना का आमुखीकरण आदि रहा |

बाल – विवाह रोकने में – जतिपंचो एवं पंडितो की भूमिका संवाद ,राजसमन्द जन विकास संस्थान , कार्यालय परिसर –

राजसमन्द जन विकास /राजसमंद महिला मंच एवं जागृति परियोजना के सयुक्तत्वाधान में संस्थान कार्यालय सोमनाथ चौरहा ,कांकरौली में एक दिवसीय समाज के विकास में महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित हो जातिपंच के साथ सवांद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे राजसमन्द जिले से सात ब्लोक से कुल 35 महिला एवं पुरुष जातिपंचो ने भाग लिया

बैठक का उद्देश्य

- मुख्य पिछली बैठक का फोलोअप ,
- कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान आगामी आयोजना आदि |

- श्रीमती शकुंतला पामेचा ,निदेशक ,राजसमन्द जन विकास संस्थान – महिलाओ एवं लडकियों के अधिकारों के बात रखते हुए कहा की हमारे समाज में नाता प्रथा अच्छी सोच एवं महिलाओ के जीवन जीने का विकल्प हो इसलिए शुरू हुई थी लेकिन आज के समय में नाता प्रथा से महिलाओ – लडकियों का व्यापारीकरण हो गया है जिससे उनके बच्चो के भविष्य पर कुप्रभाव पढ़ रहा है |
- श्री गंगाराम भील पूर्व जिला अध्यक्ष , भील समाज – नाताप्रथा की जड बाल –विवाह है हम सभी मिलकर अगर अपने –अपने समाज में बाल –विवाह ही खत्म करे तो नाता प्रथा में कमी आएगी | आदिवासी समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है इस पर कार्य करेंगे |
- श्री मांगीलाल .सचिव ,बंजारा समाज – आज का समाज शराब एवं अन्य नशे में लिप्त है जिससे हमारे समाज के विकास पर प्रभाव पड रहा है ,एवं महिलाओ एवं लडकियों के साथ हिंसा बढ़ रही है | हमे शराब बंदी के लिए समाज में जागरूकता के लिए काम करना पड़ेगा |और बच्चो को शिक्षित करेंगे |
- श्री विनोद कुमार भाट , जातिपंच - हमारे संमाज में पति – पत्नी के झगडे या मामले निपटाने के समाज में विकास शुल्क के नाम झगडे की राशि ली जाती है वो राशि महिलाओ को मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन एवं बच्चे गुजारा चला सके |

बैठक के अंत में सभी समाज के जातिपंचो ने सामूहिक रूप से तय किया की –

- हम जातिपंचो की बैठक में महिलाओ की भागीदारी बढायेगे ,
- दारुबंदी का कार्य करेंगे ,
- हम अपने बच्चो की छोटी उम्र में सगाई नही करेंगे एवं बाल –विवाह नही करेंगे ,
- महिलाओ को जातिपंचो की बैठक में जाजम पर बिठायेंगे ,और जातिपंच की भूमिका में लायेंगे ,
- संमाज में विवाह का पंजियन अनिवार्य करेंगे एवं सामूहिक विवाह को बढ़ावा देंगे ताकि बाल –विवाह में कमी आ सके ,
- महिलाओ एवं बच्चो के लिए सामजिक कोष बनायेगे ताकि एकल महिलाए अपने बच्चो की परवरिश अच्छी तरह से कर सके |

बैठक की समाप्ति महिला मंच कार्यकर्ता श्रीमती ललिता शर्मा द्वारा धन्यवाद देकर किया गया | कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी सुश्री फैंसी कुमारी राणा द्वारा किया गया | इस बैठक में महिला मंच कार्यकर्ता ,शारदा खटिक ,पुष्पा सिंघवी ,लता खटिक ,ललिता शर्मा ,फैंसी कुमारी ,सबाना प्रवीन ,रेहाना रंगरेज ,नंद्कुंवर ,भंवरकुंवर ,गीताकुंवर ने भी भाग लिया |

जाति पंचो एवं सरपंचो की बैठक के लिए सभी जाति पंचो और सरपंचो को सूचना दी गई

बाल विवाह एवं शराब मुक्त समाज हो" जातिपंच के साथ सवांद कार्यक्रम

जागृति परियोजना के द्वारा संस्थान कार्यालय सोमनाथ चौरहा ,कांकरौली में एक दिवसीय समाज के विकास में जातिपंच के साथ **" बाल विवाह एवं शराब मुक्त समाज हो "** सवांद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे राजसमन्द जिले से रेलमगरा ,खमनोर ,राजसमन्द , आदि ब्लॉक से कुल 25 महिला एवं पुरुष जातिपंचो ने भाग लिया |

बैठक मुख्य उद्देश्य

1. सामजिक कुरीतियों को बदलने में जातिपंच महत्वपूर्ण कड़ी पर चर्चा
2. नाता प्रथा ,बाल – विवाह बच्चों एवं समाज के विकास पर कुप्रभाव पर चर्चा
3. सामजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आगामी सामूहिक आयोजना

बैठक में सभी सहभागियों का स्वागत महिला मंच राजसमन्द की श्रीमती पुष्पा सिंघवी द्वारा किया गया

- **श्री अरविन्द पामेचा ,सलाहकार ,राजसमन्द जन विकास संस्थान–**महिलाओ एवं लडकियों के अधिकारों के बात रखते हुए कहा की हमारे समाज में नाता प्रथा अच्छी सोच एवं महिलाओ के जीवन जीने का विकल्प हो इसलिए शुरू हुई थी लेकिन आज

के समय में नाता प्रथा से महिलाओ –लडकियों का व्यापारीकरण हो गया है जिससे हमारे बच्चो के भविष्य पर कुप्रभाव पढ़ रहा है |

- **श्री रामलाल , रेगर समाज –** नाता प्रथा महिलाओं एवं लड़कियों का व्यापार बन गया है | झगडा राशि को खत्म करना आवश्यक एवं मुख्य है |
- **श्री देवीलाल ,बंजारा समाज –** आज का समाज शराब एवं अन्य नशे में लिप्त है जिससे हमारे समाज के विकास पर प्रभाव पड रहा है ,एवं महिलाओ एवं लडकियों के साथ हिंसा बढ़ रही है | हमे शराब बंदी के लिए समाज में जागरूकता के लिए काम करना पड़ेगा |और बच्चो को शिक्षित करेंगे |
- **श्री सोहन गमेती , जातिपंच** - हम जातिपंचायत स्तर पर बाल विवाह जो भी करेगा समाज द्वारा दण्डित किया जायेगा | नाताप्रथा की जड बाल –विवाह है हम सभी मिलकर अगर अपने –अपने समाज में बाल –विवाह ही खत्म करे तो नाता प्रथा में कमी आएगी | आदिवासी समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है इस पर कार्य करेंगे |

बैठक के अंत में सभी समाज के जातिपंचो ने सामूहिक रूप से तय किया की-

- हम जातिपंचो की बैठक में महिलाओ की भागीदारी बढायेगे ,
- दारुबंदी का कार्य करेंगे ,
- हम अपने बच्चो की छोटी उम्र में सगाई नही करेंगे एवं बाल –विवाह नही करेंगे ,
- महिलाओ को जातिपंचो की बैठक में जाजम पर बिठायेंगे ,और जातिपंच की भूमिका में लायेंगे ,
- संमाज में विवाह का पंजियन अनिवार्य करेंगे एवं सामूहिक विवाह को बढ़ावा देंगे ताकि बाल –विवाह में कमी आ सके ,
- महिलाओ एवं बच्चो के लिए सामजिक कोष बनायेगे ताकि एकल महिलाए अपने बच्चो की परवरिश अच्छी तरह से कर सके |

महिला नेतृत्वकर्ता कार्यशाला –

महिला समूह बैठकों का फोलोअप लेते हुए

खेल के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामूहिक नेतृत्व का विकास

राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं जागृति परियोजना के सयुक्तत्वाधान में एक दिवसीय महिला समूह मुख्यो की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य – महिला समूह बैठकों का फोलोअप , महिला मंच राजसमन्द की जानकारी , महिला हिंसा से जुड़े मुद्दों पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक नेतृत्व का विकास ,आगामी आयोजना आदि रहा

72वां स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस , कार्यालय , राजसमन्द

राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं राजसमन्द महिला मंच के सयुंक्ततत्वाधान में महिला विकास केंद्र पर 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया | इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यश बैंक के प्रबंधक श्री तरुण जी सोनी रहे | सर्वप्रथम झंडारोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई | कार्यक्रम में संस्था की निदेशक शकुंतला पामेचा ने महिलाओं के परिपेक्ष में आजादी क्या है और संस्थान का परिचय दिया | जो किशोरिया शिक्षा से वंचित है उन लड़कियों को अपने अभिव्यक्ति करने का मंच नहीं मिलता है उन ग्रामीण किशोरियों को अपने विचार रखने का मौका दिया गया |

केलवाड़ा ब्लाक की डाली कुमारी के पिताजी 3 साल से बीमार थे तो इसने पढाई छोड़ दी थी अब डाली ने वापस अपनी पढाई जारी रखने के लिए 10वी का ओपन फॉर्म भरा है **| इस प्रकार गरीब व् वंचित समुदाय की किशोरियों ने जिन्होंने पढाई छोड़ दी उसमे से कुल 100 किशोरियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा गया | 100 किशोरियों में से 20 किशोरियों को शैक्षणिक अनुदान देने के लिए भामाशाहो से बात कही गई आज कार्यक्रम के अंतर्गत यस बैंक द्वारा 5 किशोरियों की आगे की शिक्षा के लिए उन्हें शैक्षणिक अनुदान दिया ताकि वे आगे पढ़कर अपने सपनो को पूरा कर सके और अपने जीवन को उज्जवल बना सके | कार्यक्रम के अंतर्गत राजसमन्द महिला मंच की कुल 50 कार्यकर्ताए और ग्रामीण किशोरियों सम्मिलित हुई|**

70 वां गणतंत्र दिवस

26 जनवरी 2019 को राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं राजसमन्द महिला मंच के सयुंक्ततत्वाधान में महिला विकास केंद्र पर70 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया | सर्वप्रथम झंडारोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई | जो किशोरिया शिक्षा से वंचित है उन लड़कियों को अपने अभिव्यक्ति करने का मंच नहीं मिलता है उन ग्रामीण किशोरियों को अपने विचार रखने का मौका दिया गया|

8. **6 सितम्बर , AJWS की राष्ट्रीय निदेशक के साथ बैठक – परणीता कपूर –** दुनिया भर में किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत अमेरिकन जुइस एंड वर्ल्ड सर्विस की ओर से 6 सितम्बर को परणीता जी द्वारा इस वर्ष के प्रोजेक्ट के कार्यो का विजिट किया गया | संस्थान कार्यालय में एक वर्ष में किये कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी एवं संस्थान से जुड़े सक्रीय महिला मित्र एवं किशोरी मित्रो के साथ एक वर्ष किये कार्य के अनुभव सुने गए आगे की काम करने की आयोजना बनाई गयी |

9. **1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस के उप्ललक्ष में जिले की स्कुलो/ कोलेज के साथ पखवाड़ा–**

प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है | उसी प्रकार इस वर्ष भी दिनांक 1.10.2018 से 10.10.2018 को राजसमन्द जन विकास संस्थान और राजसमन्द महिला मंच द्वारा राजसमन्द जिले के 3 ब्लाक के 8 पंचायतों के (अमलोई, केरोट, बागोल, बडारडा, राज्यवास, नाथद्वारा, मणानिया, भाणा, बाघपुरा और राजनगर) 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 1 महाविद्यालय के कुल 200 किशोर एवं 1650 किशोरियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का अभियान चलाया गया | जिसमे कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया | जिसके अंतर्गत

बाल- विवाह, शिक्षा, डायन प्रथा, नाता प्रथा, जेंडर, किशोरियों के सपने और करियर काउंसलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर संदर्भ व्यक्ति के सहयोग से चर्चा की गई साथ ही खेल और विडियो के माध्यम से उनकी समझ को और गहरा किया गया |

महिला मंच की कार्यक्रताओ और किशोरी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए

इस अभियान के तहत किशोरियों की शिक्षा और बाल-विवाह से सम्बंधित कही समस्याये निकल कर आई जिसके आधार पर 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार कर 11.10.2018 को जिला कलेक्टर के नाम संस्था की कार्यकर्त्ता और किशोरी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया कलेक्टर द्वारा ज्ञापन को पढ़कर कहा गया कि वे जिला स्तर पर आ रही समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही किशोरियों की मांग से सम्बंधित ज्ञापन को राज्य स्तर पर भी भेजा जायेगा |

30 अक्टूबर , युवा महोत्सव , राजसमन्द जन विकास संस्थान कार्यालय,राजसमन्द –

किशोरियों द्वारा उत्साह वर्धन करती किशोरिया

युवा महोत्सव में उद्बोदन देते हुए

राजसमन्द जन विकास/ राजसमंद महिला मंच एवं जागृति परियोजना के सयुक्तत्वाधान में संस्थान कार्यालय सोमनाथ चौरहा ,कांकरौली में वार्षिक युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे राजसमन्द जिले से रेलमगरा ,खमनोर ,राजसमन्द , कुम्भलगढ़ , भीम आदि ब्लॉक से कुल 150 किशोरी मंच सदस्यो ने भाग लिया

कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य

- किशोर – किशोरियो की अभिव्यक्ति मंच पर साँझा , करना
- बदलाव की कहानी –किशोरियो की जुबानी

- इस वर्ष विशेष कार्य करने वाले किशोर – किशोरियो का मंच पर सम्मानित करना
- वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण ,

युवा महोत्सव के मुख्य अतिथि जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायधीश श्री नरेंद्र कुमार रहे |
सभी सहभागियों एवं अतिथियों का स्वागत संस्थान निदेशक श्रीमती शकुंतला पामेचा द्वारा किया गया |
महोत्सव में अतिथियों ने किया लडकियों को प्रेरित –

- श्री नरेंद्र कुमार , जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायधीश ,राजसमन्द – लडकियों को प्रेरित करते हुए कहा की समाज में लडकियों – महिलाओ के लिए बहुत - सी कुरीतिया है जिसमे बाल –विवाह,दहेज़ प्रथा उसमे से एक है,कुरीतियों को समाप्त करने में समाज की अहम् भूमिका है और हम सब समाज का हिस्सा है , बदलावकी शुरुआत हमे खुद से करनी चाहिये|
- श्रीमती शकुंतला पामेचा ,निदेशक ,राजसमन्द जन विकास संस्थान – लडकियों को संस्थान से जुड़कर अपनी बात रखने का मंच मिला है ,उनका आत्मविश्वास ब ढा है | जो लडकिया शिक्षा से ड्रॉपआउट हो जाती है उन का बाल –विवाह कर दिया जाता है संस्थान के कार्यकर्ताओ ने सभी गाँवों का सर्वे करके ऐसे परिवारों की लडकियों का सर्वे किया और इस वर्ष लगभग 100 लडकियों राजस्थान स्टेट ओपन से जोड़ा और वे अभी पढ़ रही है |
- श्रीमती निर्मला मी णा,प्रिंसिपल, सेठ रंगलाल कोठारी ,महाविद्यालय,राजसमन्द – समाज के विकास में जातिपंचो की अहम् भूमिका होती है , जो वे निर्णय लेते है वे समाज में मान्य होते है संस्थान उनके साथ काम कर रही है ये बहुत खुशी की बात है |
- श्रीमतीवर्षा पालीवाल ,एडवोकेट,राजसमन्द – संस्थान लडकियों और महिलाओ के उत्थान के लिए पिछले काफी वर्षो से कार्य कर रही हैऔरलडकिया और महिलाए संस्थान से जुड़कर अपनेजीवन में साहसपूर्ण निर्णय ले रही है ये बहुत बड़ी बात है |
- श्री अनोखा जी ,साहित्यकार,राजसमन्द- महोत्सव में लडकियों को प्रेरणादेने वाली कविताए सुनाई एवं कहा की संस्थान शिक्षा से वंचित ग्रामीण इलाको में काम कर रही है जहा कोई नही जहां योजनाओ एवं सुविधाए नही पहुँच पाती है वहा संस्थान पहुँच कर लडकियों – महिलाओ में जागृति लाने का काम कर रही है |
- कार्यक्रम में किशोरी मंच द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियादी गयी एवं बेटियों पर कविताए गयी गई एवं इस वर्ष बेहतर एवं साहसी निर्णय लेने वाली लडकियों एवं लडकियों महिलाओ कोअधिकार दिलाने में संस्थान को सहयोग कर रहे प्रतिनिधियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया |
  कार्यक्रम की समाप्तिकिशोरी मंच सदस्यों एवं कार्यकर्ताओ के सामूहिक डांस के साथ किया गया | कार्यक्रम का संचालन किशोरी मंच सदस्य द्वारा किया गया |

शिक्षा एवं विकास से वंचित समुदाए की किशोरियों के लिए विशेष शिक्षा के केन्द्रों का सञ्चालन

जिन लडकियों / युवा बाल – वधुओ ने पिछले 5 से 10 वर्ष छुटी पढाई उनके पुन ; शिक्षा एवं उनके जीवन के सपनो के प्रति प्रेरित किया गया और उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन से 10 एवं 12 कक्षा के फॉर्म भरे गए | अच्छे नम्बरों से पास होकर उच्च शिक्षा को प्राप्त करे इस उद्देश्य से संस्थान द्वारा गाँव में लडकियों एवं युवा / बाल वधुओ के लिए विशेष शिक्षा एवं संदर्भ केंद्र का सञ्चालन किया गया है जहा वे प्रतिदिन दो घंटे अपने काम एवं जिम्मेदारी से समय निकालकर पढ़ने जाती रही जिसके परिणामस्वरूप 60 में 45 लडकिया अच्छे नम्बरों से पास हो गयी एवं उन्होंने इस वर्ष 12 कक्षा के फॉर्म भरे | 5 लडकियों के 1 विषय में सप्लिमेंटी आई उनके वापिस सप्लिमेंटी के फॉर्म भरकर फिर से परीक्षा दी वे लडकियां भी अच्छे नंबर से पास हो गयी है | इस प्रकार इस वर्ष लगभग 100 लड़कियों एवं बहुओ को शिक्षा से जोड़ा गया |

इस वर्ष राजसमन्द जिले के खमनोर, रेलमगरा , राजसमन्द आदि ब्लॉक के 30 गाँवों में लडकियों संमाज में मान – सम्मान बढाने एवं उनके अधिकारों को सुनिशिचितकरनेएवं उनकी जेंडर आधारित, सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों व् अधिकारों एवं उनसे जुड़े कानून की समझ बनाने पर कार्य किया गयाजिससे हम वार्षिक रूप से निम्न लिखित देखने को मिले

- बदलाव की कहानिया -

1. राजस्थान की पहली गरिमा अवार्ड से सम्मानित एवं बाल विवाह शुन्यकरण करवाने वाली 22 वर्षिय सुश्री यशोदा गमेती अभि मजदूरी कर परिवार एवं अपनी पढाई का खर्च चला रही है | यशोदा ने तय किया की जब तक शादी नही करुँगी तक तक मेरा सपना पूरा नही होता मेर सपना है की मै टीचर और आदिवासियों लडकियों को शिक्षा के प्रति एवं बाल –विवाह ना करे के लिए जागरुक करू
2. सुगना सालवी , राज्यावास , उम्र -16 वर्ष ओपन शिक्षा से जुड़कर आई हिम्मत , कभी नही निकालुंगी घूँघट

3. 17 वर्षीय माया भाट ,अमलोई वर्ष 2017 में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जीवन में खुद का बाल – विवाह रोक शिक्षा से जुड़कर अपने जीवन के सपने पुरे करने के साहसी निर्णय के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में बालिका सरक्षण एवं गरिमा अवार्ड द्वारा 25 000 /-सम्मान राशि देकर अवार्ड से नवाजा गया |
4. 22 वर्षीय , रोशन बानो , गारियावास , मै संस्थान कार्यो एवं कार्यकर्ताओं से प्रेरित हुई और मेरा भी सपना है मै एक समाजिक कार्यकर्ता बनू और लडकियों के लिए काम करू |
5. 22 वर्षीय गीता गमेती बागोल ,चाहे कुछ हो जाए मै जातिपंचो को मेरे पति –पत्नी के आपसी झगडे के निपटारे के लिए समाजिक दंड राशि नही दूंगी |
6. 18 वर्षीय श्रीमती रेखा गमेती , अमलोई , मै पहले मीटिंग मै आती थी तब भी घूँघट निकालती थी और साड़ी पहनकर आती थी और गाँव की मीटिंग में ही आती थी लेकिन अब मै जयपुर तक मीटिंग में जाती हु और सलवार और जींस – टॉप पहनती हूँ |
7. 17 वर्षीय श्रीमती शिवानी भाट ,अमलोई , समूह से जुड़ने के बाद ,अपनी बात रखने का हौसला मिला है , मर्जी से जीने की आजादी मिली है |

1. **बाल –विवाह संभावित परिवारों के साथ संपर्क, समझाइश, रोकथाम–**

कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र के बाहर से वोलिंटीयर्स दवारा बाल –विवाह संभावित परिवारों की सूचना मिलने परसंस्थान की बाल – विवाह संपर्क , समझाइश, रोकथाम टीम गावो एवं ढाणीयो में –

बाल –विवाहसंभावित परिवार के बारे में
नाम –दीपिका मेघवाल ,उम्र-14 वर्ष ,कक्षा-8
पिता का नाम –चुन्नीलाल मेघवाल
पता- मेघवालो का मोह्हला मोडवा,ग्राम पंचायत –कोठारिया,राजसमन्द
यहाँ बल – विवाह की सूचना मिलने पर परिवार के साथ समझाइश की गई

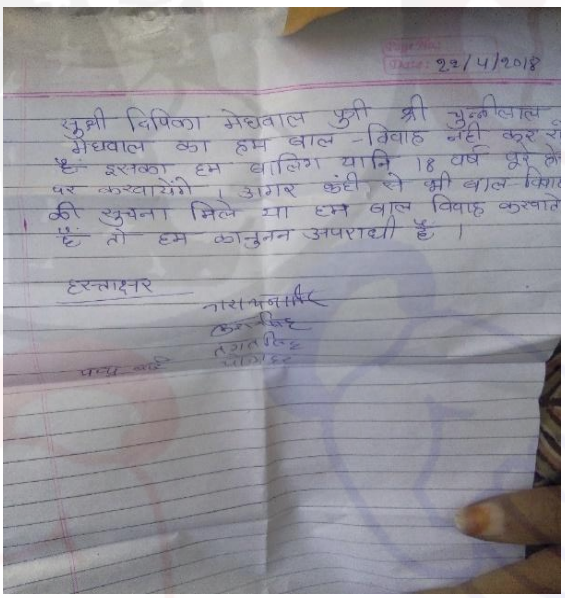

विशेष कार्य

- युवा किशोरी – किशोरियो ने गाँव के विकास में निभाई भागीदारी –
  1. भामाखेडा गाँव के किशोर समूह ने सरकार द्वार आयोजित " न्याय आपके द्वार अभियान " में गाँव में पिछले कई वर्षो से गाँव के समुदायक पानी के हैडपंप में पानी नहीं आ रहा था जिससे पुरे गाँव वाले पानी की समस्या से परेशान थे , समूह ने अभियान में अर्जी लगाई एवं सरकार के साथ लगातार फोलोअप से एवं समूह के लगातार प्रयास से पानी की समस्या के

निराकरण के पानी का हैडपम्प ठीक किया एवं गाँव में समुदायक पानी की टंकी बनाने के लिए कार्य शुरू हुआ इस प्रकार किशोर समूह की मेहनत रंग लाई |

2. कार्यक्षेत्र के सरदारपूरा गाँव में किशोरी समूह सदस्यों समूह एवं समूह की स्वच्छता कमेठी ने समूह बैठक में तय किया की हम अपने काम से समय निकालकर गाँव में स्वच्छता का सन्देश देंगे इस प्रकार गाँव के समुदायक भवन एवं बस – स्टैंड को साफ़ किया |
3. कार्यक्षेत्र के खानिया बस्ती गाँव में किशोरी – किशोर समूह एवं समूह की स्वच्छता कमेठी ने सदस्यों ने समूह बैठक में चर्चा करी की हमारे गाँव के आम चौराहे परइतनी गंदगी रहती है की वहा कोई बैठना पसन्द नही करता है और गाँव के बहार से आने वाले लोग आते है हमें अच्छा नही लगता तय किया की हम अपने काम एवं स्कुल से समय निकालकर गाँव में स्वच्छता का सन्देश देंगे इस प्रकार गाँव के आम चौराहा की साफ – सफाई की |
4. गुंजोल गाँव में सभी ग्रामवासी अपने घर का कचरा जो भी होता है वो खुले रोड पर डालते है जिससे गाँव में सभी जगह गंदगी फैली रहती थी और बीमारियां होती थी इस पर गाँव के किशोरी समूह एवं समूह की स्वच्छता कमेठी ने समूह बैठक ने चर्चा करी हमारे गाँव ये समस्या है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए | चर्चा के दौरान सभी ने तय किया की एक तो हम सभी लोग अपने – अपने घर का कचरा रोड पर नही डालेंगे गाँव से बाहर दूर जाकर खाली जगह जाकर डालेंगे एवं दूसरा हम ग्रामपंचायत पर जाकर सरपंच को जाकर ज्ञापन देंगे इस प्रकार किशोरी समूह एवं समूह की स्वच्छता कमेठी ने मिलकर ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच को ज्ञापन दिया , सरपंच ने किशोरी समूह को विश्वास दिलाया की इस समस्या का समापन किया जायेगा अभी चुनाव एवं अचार सहिंता की वजह से नही कर पा रहे है |
5. अरडकिया गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र – छात्राओ को खेल के संसाधन उपलब्ध नही किये जाते थे इस भेदभाव के खिलाफ भामाखेडा गाँव के किशोर समूह ने आवाज उठाई और विद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया और किशोर समूह के दवाब से प्रधानाचार्य ने आर्डर PTI को आर्डर किया खेल की सामग्री उपलब्ध की जाए PTI ने दुसरे दिन खेल की सामग्री उपलब्ध करवा दी एवं किशोर समूह ने विद्यालय के खेल के मैदान को साफ किया एवं वहा नियमित प्रतिदिन दो घंटे खेलना तय किया और अभी गाँव के किशोर वहां डी घंटे शाम को खेलने जाते है |

चुनौतियां –

- **किसी गाँव एक गाँव में लड़के– लडकियों के अपनी इच्छा से साथ रहने व् बाहर चले जाने से गाँव की समाप्त लडकियों के पढ़ने एवं उनकी आने – जाने पर नियंत्रण बढ़ना|**
- **अफवाहों के कारण गाँव की पूरी लडकियों के पढ़ने एवं उनकीआवागमन पर नियंत्रण बढ़ना**
- **भेदभाव के खिलाफ किशोरियों आवाज उठाने पर लडकियों को डराना धमकाना**
- मेवाड़ क्षेत्र में ऐसे धार्मिक रिवाज है जिसमे हमें बाल –विवाह घोषित करने में परेशानी और समय का दुरुपयोग हुआ जैसे *गोल –विटी* का कार्यक्रम | मेवाड़ क्षेत्र में एक गोल विटी नाम से एक धार्मिक संस्कार होता है जिसमे प्रत्येक परिवार में 5 वर्ष के बाद बच्चे को अपने कुल देवता के नाम से अंगूठी पहनाते है उसमे बढ़ी धूमधाम से अपने सगे संबंधियों को निमत्रण दते है और शादी जैसा कार्यक्रम करते है ||
- जिस दिन बाल –विवाह हो रहा था उसी दिन बाल –विवाह की सुचना अचानक मिलने पर हम संस्थागत स्तर पर अचानक आयोजना नही बना पाना |
- समुदाए के वर्चस्व जातियों के प्रभावशाली लोगो द्वारा धमिकया मिलना और बाल – विवाह होने की आप हमारे गाव में आकर लोगो को कियु परेशान करते है | और हमारा आप क्या कर लोगो हम तो प्रशासन के साथ भी मिले हुए है तो आप क्या कर पाओगे|

आगामी वर्ष की आयोजना –

- **लडकियों का शैक्षणिक भ्रमण,**
- **पुराने गाँवों में किशोरी स्वयं अपने समूह के काम देखेगी 10,**
- **गाँव बाल विवाह मुक्त गाँव बनायेगे,**
- **किशोरी समूहों को संगठन की प्रक्रिया में लायेगे,**
- **अन्य संस्थाओ के साथ नेटवर्किंग– लडकियों के शैक्षणिक भ्रमण, मॉडयुल ,प्रशिक्षण आदि |**
- **महिलाओ एवं लडकियों के क़ानूनी प्रशिक्षण, लडकियों का खेल के माध्यम के सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावादेना**

- **लडकियों का आजीविका के माध्यम से सशक्तिकरणआत्मसुरक्षा प्रशिक्षण ,सिलाई प्रशिक्षण , कुकिंग क्लासेज , क्राफ्ट प्रशिक्षण , ब्यूटीपार्लर ,कम्प्यूटर प्रशिक्षण ,**
- **लडकियों की शिक्षा की गुणवत्ता परकार्य करने के लिए विशेष केन्द्रों का संचालन**

हुँकार परियोजना परिचय :

राजसमन्द जन विकास संस्थान में "हुंकारों" नाम से महिला हिंसा रोकने व् महिला संगठनो द्वारा आवाज़ उठाने के लिए विगत अगस्त माह 2017 से राजसमन्द जिले में 2 ब्लाक केलवाड़ा और राजसमन्द के 5 गाँवों के आदिवासी अल्प संख्यक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ कार्य किया जा रहा है | जिसके अंतर्गत महिलाओं को डायन प्रताड़ना , नाता प्रथा व महिला हिंसा और उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है | इस परियोजना के द्वारा काम करने के लिए 5 गाँवो का चयन किया जाया है | जिसमे कुम्भलगढ़ तहसील के 4 गाँव है राजसमन्द में 1 गाँव केलवा है | इन गाँवों में हमने घर - घर जाकर संपर्क किया और महिलाओं और लडकियों कासमू ह बनाने का कार्य चल रहा है | जिसमे हमने महिलाओं से डायन प्रताड़ना व नाता प्रथा महिला हिंसा के मुद्दे पर बात करके उनकी समस्याओं को जाना , उनमें से कुछ की समस्याओं को दूर भी किया और कुछ महिलाओं को सरकारी योजनओं से भी जोड़ा है |

इस परियोजना में कार्य करने के उद्देश्य निम्न है -

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- किशोरी लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना व् संवेदनशील बनाना |
- महिलाओं एवं किशोरी लीडर्स का चयन |
- महिलाओं का क्षमता वर्धन करना |
- क्षेत्र में आये महिला हिंसा कैसो पर सामूहिक कार्यवाही करना |

गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण:

बैठके : राजसमन्द जिले के जिन 5 गाँवों में कार्य कर रहे है उसके नाम निम्न है | (मेणादर का भीलवाड़ा, डांग का वास, मोरचा, धोरण की भागल , केलवा) में हम कार्य कर रहे है और बैठके कर रहे है |

बैठके रखने का मुख्य उद्देश्य : महिलाओं की बाल विवाह, डायन प्रथा, बेटी बचाओ, शिक्षा नाता जैसी कुरीतियों पर समझ बनाना है और इससे सम्बंधित जानकारी देना है |

प्रत्येक माह में महिलाओं और किशोरियों के साथ 15 बैठकों का नियमित रूप से आयोजन हो रहा है | प्रत्येक माह में 2 cluster बैठके (एक महिलाओं और एक किशोरियों के साथ) का आयोजन समूह की लीडर्स के साथ किया जा रहा है |

किशोरियों को बैठकों के दौरान शिक्षा के बारे में जानकारी दी गयी और जिन लड़कियों ने पढाई छोड़ दी है उन्हें वापस पढने के लिए प्रेरित करना |

1 राजस्थान डायन- प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 और राजस्थान डायन - प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2016 कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस के साथ कार्यशाला:

दिनांक 23.12.2018 से 24.12.2018 व् 31.12.2018 को राजसमन्द जन विकास संस्थान / महिला मंच द्वारा राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और निवारण नियम 2016 के तहत पुलिस विभाग के साथ एक -एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया | जिसमे डायन कानून के बारे में जानकारी दी गई और डायन कानून की धाराओ के बारे में जानकारी दी गयी | चारभुजा , केलवाडा , नाथद्वारा , खमनोर , आमेट, रेलमंगारा में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे निर्देशक शकुंतला पामेचा जी द्वारा राजसमन्द जन विकास संस्थान की जानकारी दी गई और महिला मंच की जानकारी दी गई और डायन हिंसा के ऐसे स्थानों की पहचान कर एक तंत्र की स्थापना करने की जरुरत है जहाँ ऐसे केस नहीं हो और ये प्रशासन की जवाबदेही को तय करना |

संगीता जी द्वारा डायन कानून की जानकारी दी गई और जमना द्वारा डायन केसों पर चर्चा की गई |

उद्देश्य:

- पुलिस प्रशासन को डायन कानून के प्रति संवेदनशील बनाना |
- डायन प्रथा और पितृसत्तामक व्यवस्था पर चर्चा करना |
- पीड़िता की समस्या समाधान के लिए सामूहिक आयोजना बनाना |
- प्रशासन को भविष्य में डायन के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने में सक्षम बनाने के लिए |

प्रभाव :

- डायन ACT की पुलिस प्रशासन को पहले जानकारी नहीं थी कार्यशाला के बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारी का पता चलना |
- कानून के दायरे में डायन प्रथा पीडिता को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिये इसका पता चलना |
- खटामला गाँव की एक महिला द्वारा केलवा थाने में डायन केस की रिपोर्ट लिखवाई गई जिसको पुलिस द्वारा डायन कानून की धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया |

पुलिस के साथ कार्यशाला :- दिनांक 23.12.2018 से 24.12.2018 व् 31.12.2018 को राजसमन्द जन विकास संस्थान / महिला मंच द्वारा राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और निवारण नियम 2016 के तहत पुलिस विभाग के साथ एक - एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया | जिसमे डायन कानून के बारे में जानकारी दी गई और डायन कानून की धाराओ के बारे में जानकारी दी गयी | चारभुजा , केलवाडा , नाथद्वारा , खमनोर , आमेट, रेलमंगारा में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे निर्देशक शकुंतला पामेचा जी द्वारा राजसमन्द जन विकास संस्थान की जानकारी दी गई और महिला मंच की जानकारी दी गई और डायन हिंसा के ऐसे स्थानों की पहचान कर एक तंत्र की स्थापना करने की जरुरत है जहाँ ऐसे केस नहीं हो और ये प्रशासन की जवाबदेही को तय करना |

संगीता जी द्वारा डायन कानून की जानकारी दी गई और जमना द्वारा डायन केसों पर चर्चा की गई |

खमनोर थाने में डायन कानून की लेते हुए पुलीस कार्मिक

2 लिंग – भेद संवेदनशीलता पर कार्यशाला–

राजसमन्द जन विकास संस्थान के महिला प्रशिक्षण केंद्र पर हुँकार परियोजना द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे केलवाड़ा और राजसमन्द ब्लॉक के 5 गाँवों (डांग का वास, धोरण, केलवा, मोरचा, मेणादर का भीलवाडा) की कुल 45 किशोरियों ने भाग लिया |

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य: -

- किशोरियों की जेंडर संवेदनशीलता एवं यौनिकता के मुद्दों पर समझ बनाना,
- जेंडर आधारित मुद्दों पर नेतृत्व विकास क्षमता को विकसित करना,
- किशोरियों को स्वास्थ्य के मुद्दे जानकारी देना,
- लिंग भेद की समझ स्थापित करनी |
- समाज द्वारा लिंग के आधार पर कार्य विभाजन पर चर्चा करना |
- समाज द्वारा स्थापित स्त्री और पुरुषों के कार्यों की जानकारी देकर लिंग- भेद को समझाना |
- आगामी आयोजना आदि |

डॉ. दीपिका दाधीच ,स्त्री रोग विशेषज्ञ ,राजसमन्द द्वारा –

- किशोरी स्वास्थ्य,
- माहवारी,
- साफ सफाई के विषयों पर जानकारी दी गई

पारुल चौधरी ,सामाजिक कार्यकर्ता , उदयपुर – जेंडर संवेदनशीलता - द्वारा लिंग भेद संवेदनशीलता पर चर्चा की गई |

श्री नरेंद्र कुमार शर्मा ,राज्य प्रबंधक ,एक्शन एड जयपुर – वोलिन्टीयरिज्म –

नरेन्द्र जी द्वारा अनेक शब्दावली जैसे- बदलाव, परिवर्तन, विकास, अन्याय, सोच, दर्द बराबरी, शोषण आदि पर उनकी समझ बनाई गई |

लिंग भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के है- 1 प्राकृतिक 2 सामाजिक

श्रीमती शकुन्तला पामेचा द्वारा लिंग भेद पर किशोरियों की समझ बनाते हुए|

प्रभाव :

- किशोरियों की जेंडर और यौनिकता के मुद्दों पर समझ बनने लगी है |
- किशोरिया संगठन के महत्व को समझने लगी है |
- किशोरिया महावारी जैसे विषय पर खुलकर बात करने लगी है |
- किशोरिया महावारी के समय में स्वछता का ध्यान रखने लगी है |

11 जून से 15 जून किशोरी आवासीय – आत्मसुरक्षा, ड्राइविंग, जीवन कौशल शिविर का आयोजन–

3 शिविर का मुख्य उद्देश्य –

- ग्रामीण किशोरियों का जेंडर आधारित मुद्दों की समझ को ओर गहरी करना ,
- सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा कर समझ बनाना |
- लडकियों के लिए बनी परम्परागत सोच को तोडना एवं आत्म सुरक्षा ,ड्राइविंग, एवं अन्य जीवन कौशल कार्य सिखाना |
- लडकियों का नेतृत्व क्षमता विकास करना |

विवरण –

- **योगा** - योगा सिखाने का मुख्य उद्देश्य - लडकियां स्वस्थ रह सके और कभी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो |

- **आत्म-सुरक्षा प्रशिक्षण** - आत्म – सुरक्षा प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य – अगर कोई भी किशोरी किसी मुश्किल परिस्थिति में फस जाये तो वो अपना बचाव स्वयं कर सके |

- **ड्राइविंग** – ड्राइविंग सिखाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को कही आने - जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े और वो स्कूल/ कॉलेज या अन्य कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे |

- **स्वास्थ्य** – आयुर्वेदिक डॉ. सरोज मेनारिया द्वारा किशोरियों की स्वास्थ्य की जानकारी बढ़ाना व् किसी भी बीमारी का घरेलु आसान तरीको से तुरंत इलाज के नुस्खे बताये गए |

- **क्राफ्ट** – क्राफ्ट सिखाने का मुख्य उद्देश्य – किशोरिया आजीविका के लिए खाली समय में अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बना सकती है |

- फिल्म दिखाई गई - तीन रात्रि को किशोरियों को तीन अलग - अलग फिल्मे दिखाई जिसको दिखाने का मुख्य उद्देश्य - उनकी क्षमताओं का विकास, सोच में परिवर्तन और लक्ष्य को प्राप्त करना था |

इन पांच दिनों में किशोरियों के साथ विभिन्न प्रशिक्षण दिलवाने के साथ - साथ कुछ खास मुद्दों पर चर्चाए भी की गई | जैसे- बाल-विवाह, नाता, डायन प्रथा इत्यादि और उनकी सोच को समझ कर उस पर चिंतन एवं विचार - विमर्श किया गया | जहाँ उन्होंने ही सवाल और जवाब देकर एक दूसरे को संतुष्ट किया |

किशोरियों को इस शिविर में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा उन्होंने इस शिविर से काफी सारी बाते सीखी

प्रभाव :–

- किशोरिया जो पहले अपने घर से बहार निकलने से डरती थी संस्था के बराबर संपर्क से अब वे कार्यालय के परिसर में रुकने लगी |
- शिविर के आयोजन के लिए वे स्वयं बोलने लगी है |
- अपने निर्णय खुद लेने लगी है

महिला नेतृत्व प्रशिक्षण-

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- क्षेत्र की महिलाओं को महिला हिंसा के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना |
- उनको डायन प्रथा पर बने कानून की जानकारी के साथ ही बाल विवाह और नाता प्रथा व् डायन प्रथा पर चर्चा करके उस पर समझ बनाना था |
- संगठन का महत्व समझाना |

राजमा दाना और सिक्के का खेल खिलाकर महिलाओं को संगठन का महत्व को समझाते हुए श्रीमती शकुन्तला पामेचा

कार्यक्रम में आने के उद्देश्य महिलाओं द्वारा बताये गए–

राजमा दाना और सिक्के का खेल खिलाकर महिलाओं को संगठन का महत्व समझाया गया |

- व्यक्तिगत समस्यायों (राशन,पानी,पेंशन,सही रास्ता न होना आदि) के कारण आए |
- कुछ नया सिखने व् जानकारी लेने आए |

डायन प्रथा – डायन प्रथा पर चर्चा की गई|

महिलाओं द्वारा कहा गया कि हमें अगर कोई डायन कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है हमारी इज्जत और आत्म-सम्मान ख़त्म हो जाता है|

3 महिला नेतृत्व प्रशिक्षण में महिला हिंसा, महिला अधिकार, डायन प्रताड़ना, नाता प्रथा, बाल-विवाह, शिक्षा, और संगठन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई | खेल खिलाकर तथा विडियो की माध्यम से समझाया गया कि संगठित रहने

के क्या क्या फायदे है |

इन सभी के कारण संगठन निर्माण करने की जरुरत महसूस की **| संगठन का नाम केलवाड़ा महिला मंच रखा | प्रशिक्षण में केलवाड़ा मच की नेतृत्व में बसन्ती बाई भील , नानी बाई खरवड, लाली बाई गमेती, और शम्भू बाई भील का चयन किया गया | यह निर्णय संगठन की महिलाओं ने मिलकर लिया|**

प्रभाव :

- क्षेत्र की महिलाये महिला हिंसा के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है |
- उनको डायन प्रथा पर बने कानून का पता चलने लगा है |
- महिलाए कहती है कि अगर अब हमें कोई डायन कहेगा तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे |
- संगठन का महत्व समझ रही है | कोई भी कार्य जैसे – पंचायत में जाकर सरपंच से खाद्य सुरक्षा या पेंशन से सम्बंधित बात करने के लिए वे स्वयं संगठित रूप से वहाँ जाकर चर्चा करने लगी है |
- जो महिलाए पहले बोलती नहीं थी वे अब अपने अधिकारों के लिए बोलने लगी है |
- गाँव में अगर कोई समस्या आती है तो और काफी प्रयास के बाद भी जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे धरने भी देने लगी है |

जनसुनवाई – दिनांक 15.6.2018 को जन सुनवाई का कर्यक्रम रखा गया जिसके तहत वहा के BDO और सम्बंधित अधिकारियों को लैटर दिया गया –

1. धोरण गाँव में पानी की समस्या की रिपोर्ट दी गई |
   धोरण गाँव में नल लग गए है
2. मेणादर का भीलवाड़ा में अभियान के तहत आंगनवाडी की अपील की गई |
   इसमे आगनवाडी का कार्य प्रगति पर है
3. समीचा गाँव के 49 लोगो के खाद्य सुरक्षा के लिए अपील करवाई गई |
   वर्तमान में उनको राशन मिल रहा है |

डायन प्रथा पर सम्मलेन –

दिनांक 5.10.2018 को राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं राजसमन्द महिला मंच द्वारा , हुँकार परियोजना तथा एक्शन एड जयपुर के सयुक्तात्वाधान में एक दिवसीय डायन प्रथा पर सम्मेलन का आयोजन राजसमन्द महिला मंच कार्यालय ,सोमनाथ चौराहा ,कांकरोली में किया गया | जिसमें कुम्भलगढ़ ,रेलमगरा , खमनोर , राजसमन्द ब्लॉक से कुल 70 महिलाओ ने भाग लिया |

एक दिवसीय डायन प्रथा पर सम्मेलन में भाग लेती महिलाएश्रीमती शकुंतला पामेचा द्वारा संदर्भ देते हुए|

कार्यक्रम का उद्देश्य -

- महिला और प्रशासन को डायन कानून के प्रति जागरूक करना और संवेदनशील बनाना |
- पीडिताओं के पुनर्वास और उचित समर्थन के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करना |
- डायन प्रथा पीडिताओं को समाज में मान-सम्मान दिलाना |
- संभावित हिंसा के स्थानों की पहचान कर के और एक तंत्र स्थापित करने के लिए विभाग को सक्रिय करना |

संस्था की निदेशक **श्रीमती शकुंतला पामेचा** द्वारा महिला और बालिका हिंसा से जुड़े मुद्दो पर बात की गई और साथ ही महिलाओं के उथान सम्बंधित विचार व्यक्त किये गये साथ ही राजसमन्द जन विकास संस्थान के कार्यों और गतिविधियों की जानकारी दी गई |

डायन जैसी हिंसा महिलाओं के साथ ही क्यों होती है ? महिलाओं को ही क्यों डायन कह कर क्यों प्रताड़ित किया जाता है | लोगो के अन्धविश्वास के कारण उनकी जिंदगी बत से बत्तर हो जाती है | अन्धविश्वास के कारण गाँव के लोग आज भी भोपे , तांत्रिक, और ओझा में विश्वास करते है

सम्मलेन में डायन प्रथा से हिंसा का सामना करने वाली महिलाओ ने रखी अपनी कहानी- अपनी जुबानी –

चम्पा बाई द्वारा अपनी कहानी सुनाते हुए| दाखू बाई द्वारा अपनी कहानी सुनाते हुए|

- **श्रीमती दाखू बाई , डांग का वास , कुम्भलगढ़ -**
- **श्रीमती चंपा बाई ,धोरण ,कुम्भलगढ़ -**

दाखू बाई उम्र 50 वर्ष, निवासी समीचा, इनके पति बहुत सीधे है और बच्चे बाहर रहते है | करीब 5-6 वर्ष पूर्व देवर जेठ की आपसी लड़ाई की वजह से इन्हें डायन कहकर प्रताड़ित किया गया इनके साथ मार पिट की गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इनके परिवार द्वारा इन्हें जलाने और तलवार से मारने की कोशिश की गई | डाकू बाई महिला मंच से जुडने के बाद महिला मंच के कार्यकर्ताओं की मदद से थाने में केस किया और वर्तमान में डाकू बाई का केस न्यायालय में प्रक्रिया धिन है |

चंपा बाई उम्र 45 वर्ष, निवासी धोरण उनके परिवार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया | चम्पा बाई उनके भतीजे की मृत्यु होने के कारण उनके वहा बैठने गई थी तभी चम्पा बाई के जेठ और देवर ने कहा कि उनके बच्चे की मृत्यु चंपा बाई की वजह से हुई और फिर उनके साथ मार- पिट करने लग गये | इस कार्यक्रम के दौरान चम्पा बाई ने स्वयं कहा कि वो उनके खिलाफ FIR करवाएंगे | इससे ये पता चल रहा है कि महिलाए जागरूक हो रही है उनका संगठन के प्रति जुड़ाव हो रहा है |
प्रशासन के ना आने की वजह से महिलाओं को जो फायदा मिलना चाहिये था वो नहीं मिला | उसके बावजूद भी महिलाओं ने आज खुल कर अपनी बात सब के सामने रखी और अपनी समस्याये बताई और प्रशासन से उसका जवाब माँगा |

मीडिया और जनप्रतिनिधि के साथ कार्यशाला

दिनांक 31.10.2018 को राजसमन्द जन विकास संस्थान और राजसमन्द महिला मंच द्वारा मीडिया और जनप्रतिनिधि को संवेदनशील बनाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महिला विकास केंद्र सोमनाथ चौराहा पर किया गया |

संदर्भ देते हुए **मीडिया द्वारा पीडिताओं से चर्चा करते हुए|**

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य :

1. समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्धविश्वास को उजागर कर जन में जागृति लाने हेतु जनप्रतिनिधि एवं मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना है |
2. सामाजिक संस्था, संगठन द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुआयामी प्रयास एवं चुनोतियों के साथ - साथ मीडिया से तालमेल रखना |

पीड़िताओं द्वारा अपनी कहानी मीडिया और जनप्रतिनिधि के समक्ष रखा गया | **मीडिया** द्वारा बताया गया कि महिलाओं के लिए चेतना केंद्र की स्थापना व अगर नई पीढ़ी को शिक्षित करेंगे तब समाज में व्यापत ऐसी कुरीतियों को दूर किया जा सकेगा |

जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि गाँव में जिन महिलाओं को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है उनके नाम जुडवाने के लिए प्रयास करेंगे |

गाँव में आ रही व्यक्तिगत समस्या जैसे – पानी, रास्ते, और राशन से सम्बंधित समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जायेगा |

प्रभाव:

1. मीडिया द्वारा पीडिताओं की कहानी सुनी गई और जब उनकी कहानी और पीडिताओं की स्थिति अखबार में आई तब सभी प्रशासन के लोगो द्वारा एक दिनांक तय कर के उस गाँव में बैठक लेने के लिए कहा गया जिसमे पूरे प्रशासन द्वारा भाग लिया जायेगा |
2. मीडिया द्वारा डायन प्रथा पर एक पूरी सीरीज अखबार में निकाली गई |

सर्वे : राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ और राजसमन्द ब्लाक के कुल 5 गाँवों (केलवा, डांग का वास, मेणादर का भीलवाड़ा, मोरचा, और धोरण) में विभिन्न मुद्दों जैसे - शिक्षा, बाल-विवाह, डायन प्रथा, नाता प्रथा और सरकारी योजनाओं से संबधित डाटा एकत्रित किया गया |

सर्वे करने का मुख्य उद्देश्य:

1. सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाकर कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास कर सके |
2. जो किशोर- किशोरिया शिक्षा से वंचित है उन्हें ओपन और रेगुलर शिक्षा जोड़ सके |
3. जिन परिवारों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है उनको फायदा दिलवाने का कार्य कर सके |
4. डायन और नाता प्रथा पीड़िताओं की स्थिति को जान कर उनके लिए कार्य कर सके |

प्रभाव :-

1. 15 किशोरियों को ओपन शिक्षा से जोड़ा |
2. 1224 परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से फायदा दिलवाया |
3. डायन पीड़िताओं को प्रशासन द्वारा फायदा दिलवाने का कार्य किया गया |

- थुरावड गाँव की केसी बाई (डायन पीडिता) की बेटी लीला को कलेक्टर से बात कर के नरेगा में मेट का काम दिलवाया | साथ ही पेंशन की बात की गई जो काम अभी प्रगति में है | एवं डायन पीडिता को नरेगा के अंतर्गत काम दिलवाया और खाध्य सुरक्षा योजना में राशन |

- घिसी बाई (डायन पीडिता) निवासी अटुम्बा को उनके परिवारों ने डायन बोल कर उनके साथ मारपीट की उनकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी तो संस्थान की कार्यकर्ताओं की मदद से उनकी FIR दर्ज करवाई तथा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन में नाम जुडवाया |

- लेरकी देवी 19 वर्षीय पिता वद्रिराम भील जिसका बाल विवाह होने वाला था उस बाल - विवाह को मंच की कार्यकर्ता व् सदस्य द्वारा रुकवाया गया |

<u>प्रभाव :</u>

- गाँव के लोगो की डायन प्रथा कानून पर समझ बनी है |
- महिलाओं और किशोरियों में प्रत्येक क्षेत्र (शिक्षा, भेदभाव, इत्यादि) में जागरूकता बढ़ी है |
- महिलाओं ने अपने हक़ में बोलना शुरू किया है |
- किशोरियों शिक्षा के महत्व को समझने लगी है जिसके कारण बाल विवाह जैसी कुरीतियों में काफी सुधार आया है |
- गाँवों में डायन कानून के लेखन , महिलाओं और किशोरियों के साथ प्रशिक्षण , जन सुनवाई, पुलिस प्रशासन के साथ कार्यशाला से गाँव के लोगों, पुलिस, जातिपंचो की डायन कानून पर समझ बनी है और साथ ही किसी भी औरत को डायन बोलने पर क्या सज़ा होगी इसकी भी जानकारी हुई है |
- भोपो को भी थोडा डर पैदा हुआ है |
- किशोरियों की जेंडर और यौनिकता के मुद्दों पर समझ बनने लगी है |
- किशोरिया संगठन के महत्व को समझने लगी है | जो लडकियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी वे अब गाँव की नियमित बैठकों में भाग लेने लगी है |

- सरकारी योजनाओं की जानकारी होने से कार्यकर्ता के साथ किशोरी लीडर्स गाँव के कई लोगों को फायदा दिलाने में मदद कर रही है , जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित हो रही है |
- किशोरिया 5 दिन के आवासीय शिविर में राजसमन्द आई और आत्मसुरक्षा , क्राफ्ट पर प्रशिक्षण लिया और साथ ही ड्राइविंग सीखी और घरेलु नुस्खों से किस तरह से इलाज किया जा सकता है उसकी जानकारी ली |
- किशोरिया महावारी जैसे विषय पर खुलकर बात करने लगी है व् स्वछता का ध्यान रखने लगी है |
- क्षेत्र की महिलाये महिला हिंसा के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है |
- कलेक्टर से बात करने पर उन्होंने डायन पीडिता केसी बाई की बेटी को नरेगा का मेट बनवाया | और उसकी बहन की भी नरेगा में काम दिलाने के लिए अपील की |
- गाँव की नियमित बैठकों में चर्चा के दौरान महिलाए बोलने लगी है कि डायन नहीं होती है , हमेशा महिलाओं को ही डायन क्यों कहा जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं ?
- ट्रेनिंग के अंतर्गत एक डायन पीडिता ने स्वयं कहा कि मुझे पहले डायन ACT के बारे में पता नहीं था पर अब मुझे इसकी जानकारी है और मै डायन बोलने वाले के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकती हूँ |
- डायन और नाता जैसे मुद्दों पर महिलाए और लडकियाँ पहले चर्चा नहीं करती थी और अब खुल के करने लगी है |
- केलवाड़ा ब्लाक की 15 लड़कियों के ओपन फॉर्म भरवाये गए |
- राजसमन्द और केलवाड़ा ब्लाक की 3 लड़कियों के रेगुलर फॉर्म भरवाये गए |
- कुल 1224 परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया |

स्टेट level पर advocacy का कार्यक्रम करना |

उद्देश्य :-

- स्थानीय स्तर पर जवाबदेही स्थापित करना |
- जागरूक केन्द्रो की स्थापना करना |
- प्रताड़ित महिलाओ की समाज में पुनः स्थापित करना

राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं actionaid के सयुक्त तत्वाधान में डायन प्रथा पर बने कानून निवारण अधिनियम 2015 एवं राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम 2016 के राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विकास अध्ययन संस्थान (आई डी एस) में आयोजन किया गया जिसमे

राजसमन्द जन विकास संस्थान की निर्देशक शकुंतला जी पामेचा, actionaid के रिजनल अध्यक्ष श्रीमान नरेन्दर जी द्वारा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया | डायन कानून और डायन केसों पर महिला की स्थती की मे सुधार लाने के लिए किया काम कर सकते है | कार्य करने के अंतर्गत क्या - क्या समस्या आ रही है , प्रशासन का क्या योगदान रहा है तथा आगामी योजना बनाना ताकी डायन पीडिता को हम कैसे समाज मे पुन: स्थापित कर सकते है |

1. pucl की कविता श्रीवास्तव ने कहाँ कि यह एक modal action plan action plहैं | जिसमे हम महिला को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकते हैं | कविता जी ने राजसमन्द जन विकास संस्थान के बारे में कहा कि इनके पास महिला मंच जैसा मजबूत संगठन है | इस कारण इन्होने कई जगह महिलाओ को नरेगा , खाद्य सुरक्षा , पेंशन जैसी योजनाओं से महिलाओ को फायदा दिलवाया गया है |

2. जगौरी की आभा मैया ने बताया कि इस कनून को राजनैतिक रूप OBR या महिला - दिवस पर अभियान के रूप मे देखना चाहिए | क्योकि वो भी महिला भारत के संविधान की मुख्य कड़ी है और वोट देती है अतः इसे हमें अभियान की तरह जोड़ना चाहिए साथ ही युवा लोगो को भी जोड़ना चाहिये |

3. युवा बच्चो ने भी कई प्रशन किए की कई जगह यह कार्य खुले रूप मे होता है लेकिन वहां कोई कानून नहीं जैसे बहुत धार्मिक स्थानों पर है | इसी विषय पर विचार विमर्श हुआ है

प्रभाव :-

- प्रशासन , कानून के जानकार , कानून को बनाने वाले लोगो का एक नेटवर्क बन गया और इस मुद्दे पर एक समझ बनी है |
- एक स्थर पर नेटवर्क बना अन्य संस्थान के साथ |
- प्रशासन के लोगो के साथ पुनः बैठक का आयोजन करना सुनिर्चित किया |

गर्ल्स नोट ब्राइड :- गर्ल्स नोट ब्राइड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो की 90 देशों में संचालित है | ये संस्थान किशोरियों के साथ बाल – विवाह रोकने हेतु कार्य कर रही है और इस वर्ष राजसमन्द जन विकास संस्थान भी गर्ल्स नोट ब्राइड के साथ जुड़ गई है और बाल – विवाह रोकने के लिए कार्य कर रही है |

गर्ल्स नोट ब्राइड उद्देश्य:-

- **बाल – विवाह जैसी कुरूतियो को समाज से दूर करना|**
- **किशोरियों को सशक्त करना|**
- **शिक्षा के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना|**
- **शिक्षा , स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मुद्दों पर किशोर/ किशोरियों के साथ पैरवी करना|**

- राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं महिला मंच के सयुक्त तत्वाधान में 16 दिवसीय अभियान मनाया गया जिसमे 50 गाँवो में ये बैठकों के माध्यम से किया गया और इस अभियान में आज **, नाता प्रथा , कार्यस्थल पर होने वाली यौन हिंसा , बाल – विवाह , अशिक्षा , घटता लिंगानुपात , मारपीट , छेड़छाड़ , दहेज़ प्रथा , शिक्षा से वंचित रखना , बालिका वध , बलात्कार जैसे अत्याचार होते है ऐसे अत्याचारो पर अभी तक भी चुप्पी है |**
- **यह अभियान महिलाओं – लडकियों के साथ होने हिंसा यह अभियान महिलाओं एवं लडकियों के हिंसा के विरुद्ध चुप्पी तोड़ने , उनकी आवाज को साहस देने एवं व्यापक जागरूकता लाने के**

मुख्य उद्देश्य

- **25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2018 तक 16 दिवसीय अभियान का आगाज किया जा रहा है जिसके तहत राजसमन्द जिले के आमेट , भीम , देवगढ़ , खमनोर , राजसमन्द , रेलमगरा आदि ब्लॉक के 50 गाँवों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए |**

- **बैठक में मुख्य रूप से कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की जानकारी एवं समझ बनाना के एवं रोकथाम हेतु बने कानून एवं उसके प्रावधानों की जानकारी प्रदान करवाना,साथ ही साथ नरेगा ,विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी|**

- **पोस्को कानून , बाल विवाह प्रतिषेध कानून एवं शिक्षा की महत्वकांक्षा तथा विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी|**

गतिविधिया :-

- महिला बैठके , किशोरी बैठके
- स्कूल / कॉलेज के युवाओ के साथ संवाद
- किशोर एवं पुरुषो के साथ संवाद

- **अभियान का प्रभाव–**
- क्षेत्र में महिलाओं / लडकियों के लिए सकारत्मक माहौल व् अपनी बात रखने का मंच मिला,

- कार्यस्थल पर महिलाओं एवं लड़कियों के साथ होने यौन शोषण पर बने कानून का प्रसार – प्रचार
- लडकियों एवं महिलाओ कार्यस्थल पर होने यौन शोषण से जुड़े मुद्दों पर समझ बनी ,
- कार्यस्थल पर महिलाओं एवं लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण पर बने कानून की वकालत
- लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा अपने जीवन के केस – स्टडी लिखने के बाद उनके मन के डर खुला एवं आत्मविश्वास बढा |

- जिला स्तरीय शिकायत समिति के बारे में जानकारी मिली |

इस वर्ष 150 किशोरियों / बाल वधुओं को ऑपन के फार्म भरवाए गए और उनको शिक्षा से जोड़ा है | और कई गाँवो में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेली का आयोजन भी किया गया और कई बच्चों को रेगियुलर स्कूल से जोड़ा गया है

जागोरी संस्था के साथ किया गया कार्य

“अंतराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम“

हरवर्ष की भाती इस वर्ष भी महिला दिवस के उपलक्ष में राजसमन्द महिला मंच,राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं दिल्ली की जागोरी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में OBR के तहत महिला हिंसा के विरोध मे महिला विकास केंद्र पर अंतराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया | अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम महिला मंच संयोजिका श्रीमती शकुन्तला पामेचा दवारा किया गया तथा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती गीताकँवर (सरपंच-काछबली),मुख्य वक्ता डॉ.विना दीवेदी(MSW college,udaipur),विशिष्ठ अतिथि बाबुलाल खारोल(सरपंच राज्यवास),एवम् शंकर सिंह मज़दूर किसान शक्ति संगठन भीम , विनीता श्रीवास्तव (wwf,) से रहे | कार्यक्रम मे केलवाडा , भीम , देवगढ़ , रेलमंगारा , खमनोर ,राजसमन्द ब्लोक के विभिन्न गाँवो की 300 महिलाओ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया |

इस वर्ष महिला दिवस कार्यक्रम के उद्देश्य कार्यकर्ता लता खिची द्वारा बताये गये|

- महिला हिंसा रोकथाम के लिए कदम उठाना |
- संवैधनिक हको एवं महिला समानता के लिए प्रयास करना |

- लोकसभा चुनावो में 33% महिला आरक्षण की मांग रखना |
- महिलाओ की संगठनात्मक ताकत बनाना|

महिलाओ के साथ किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए महिलाओ को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना , विभिन्न कानून जैसे डायन कानून , घरेलु हिंसा , कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की जानकारी देकर उनको जागरूक व् सशक्त करना|

महिलाओ के साथ हर प्रकार की हिंसा होती है हम बात करते है तो सबसे ख़राब हिंसा डायन कहकर महिलाओ के साथ हिंसा करते है वो हिंसा सबसे बुरी हिंसा है | सरकार हर बार जब वोटीग के समय जनता से वादा करते है | चुनाव में महिलाओ को 33% आरक्षण देने की बात करते है लेकिन अधि तक ऐसा नहीं हुआ है | एक महिला की बात कोई नहीं सुनता लेकिन जब महिलाओ का गुट व् संगठन हो , महिलाओ की एक आवाज हो तो लोगो को सुनने के लिए तैयार होना ही पड़ता है | महिलाओ को एक जुट होकर अपने हक़ के लिए लड़ना है| इस तरह महिला – दिवस कार्यक्रम के उद्देश्यो को विस्तार से बताया गया|

महिला मंच एवं संस्थान के द्वारा वर्ष भर में किये गई कार्यो का जिसमे नारी अदालत , महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र , हुँकार परियोजना , जागृति परियोजना , पीपीटी के माध्यम से ब्योरा को प्रस्तुत किया गया | संस्थान द्वारा नाता प्रथा , बालविवाह , डायन प्रथा , महिलाओ हिंसा और महिला अधिकारों पर कार्य किया जा रहा है कि महिलाओ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपना जीवन खुशहाली से यापन कर सके |महिला मंच संगठन द्वारा पीडिताओ को जो सहयोग मिला वो उनकी कहानी उनकी जुबानी महिलाओ द्वारा बताई गई|

महिला मंच की कार्यक्रताओ द्वारा प्रस्तुत किया गया

पुष्प सिंघवी, शारदा खटीक ,सुशीला खटीक द्वारा बताया गया की हमारी स्थति बहुत ख़राब थी और इसमे महिलाए कम उम्र में विधवा हो गई और घर में कमाने वाले कोई नहीं था वो अकेली थी महिला बच्चो को पालन पोषण करवाना कठिन था| उनकी शिक्षा के लिए मंच के दवारा शेक्षणिक अनुदान से उनके बच्चे , कोई BAD , M.A , B.A , इंजीनियरिंग , तक की शिक्षा ग्रहण कर अपने पावो पर खड़े है|

संगठन की कार्यकर्ता मंजुला जी ने बताया की महिला मंच द्वारा नारी अदालत का आयोजन 11 विभिन्न जाती की 20 महिलाओ के द्वारा कार्य किया जा रहा है किसी भी प्रकार की हिंसा के केस में परामर्श एवं कानून की जानकारी दे कर दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाता है| तथा कभी कभी प्रशासन व पुलीस का सहयोग ले कर भी कार्यवाही की जाती है |

गीता कंवर (सरपंच काछबली)

गीता कुवर द्वारा बताया गया की जब में सरपंच के उम्मीदवार के रूप में खड़ी होने वाली थी तब गाँव के लोगो ने कहाँ की हम आपको वोट तो दे देंगे लेकिन आप हमारे लिए किया करेंगे तब सभी गाँव के लोगो की मांग के अनुसार शराब मुक्त काछबली बनाने का अभियान प्रारम्भ किया | 26 जनवरी को ग्रामवाशियों द्वारा ग्राम सभा ,में प्रस्ताव लिया गया की हम हमारे गाँव में एक भी शराब का ठेका नहीं चाहते है तब हम लोगो ने जानकारी ली एवं ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया जिसमे बहुत संस्थानों जिसमे राजसमन्द महिला मंच , मजदुर किसान शक्ति संगठन और भी अन्य संस्थानों ने सहयोग दिया | शराब बंदी अभियान वहा की जनता विशेष कर महिलाओ के योगदान के कारण सफल हो पाया|

वीणा द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता एवं उदयपुर MSW कॉलेज की प्रधानाध्यापिका ने शराब के कारण महिलाओ पर होने वाली हिंसा पर चर्चा करते हुए बताया की हमने कार्य किया है और वो व्यक्ति ही जल्दी शराब पीना सिखाता है जो बहुत ज्यादा कमजोर है , किसी को शराब की लत लग जाती है तो छोड़ना इतना आसान नहीं है अगर उस व्यक्ति की मजबूत , आत्मशक्ति से छोड़े तो छोड़ सकता है | हम अपने समाज में व्याप्त शराब जेसे ही गुटका ,अफ़ीम,शराब जेसे नशीले पदार्थों की लत मे बर्बाद होती युवा पीढ़ी को सावधान करते हुए , महिलाओ को बेटा और बेटी को सामान परवरिश देने की गुज़ारिश की | कोई भी महिला अगर वी अगर वो सहन करती है इस कारण उनको ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता है तो हमें किसी भी प्रकार हिंसा को सहन ही नहीं करना और हिंसा करने वाले का बहिष्कार करना है|

शंकर सिंह जी (मजदुर किसान शक्ति संगठन) :- इनके द्वारा बताया गया की शराब सरकार बेच रही है और वो पैसे कमाने के लिए , कानून द्वारा लोग शराब बंद करवा सकते है लेकिन कानून अपने आप नहीं चलते है | किसी भी काम को करने के लिए एक दुसरे की मदद करना बहुत जरुरी है | महिलाए जागरूकता के कारण ही काछबली , बरजाल में शराब बंदी हो गई है इसी तरह अन्य गाँवो में महिलाए जागरूक हो जाती है तो वहा शराब के कारण कोई महिला परेशान नहीं होंगी और वहां शराब बंदी हो जाती है | नरेगा के अंतर्गत महिलाए ही काम कर सकती है आदमी काम नहीं कर सकते है नारेगा के अंतर्गत समूह के माध्यम से पूरा काम पूरा दाम (192) रुपये दिया जायेगा | हमारी जहाँ भी आपको मदद की जरुरत हो तो बताना हम तैयार है |

दाखू बाई उम्र 50 वर्ष, निवासी समीचा, इनके पति बहुत सीधे है और बच्चे बाहर रहते है | करीब 5-6 वर्ष पूर्व देवर जेठ की आपसी लड़ाई की वजह से इन्हें डायन कहकर प्रताड़ित किया गया इनके साथ मार पिट की गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इनके परिवार द्वारा इन्हें जलाने और तलवार से मारने की कोशिश की गई ,महिला मंच की नारी आदालत में ये केस

रजिस्ट्रार करवाया गया डाकू बाई चाहती थी की वो पुलिस में केस नहीं करे और उसका पसला समाज के दवारा किया जाये इस पर समाज के लोगो ने अगर डाकू बाई को कोई भी डायन कहकर प्रताड़ित करेगा उसको 50000 रूपये का जुर्माना देना होंगा और अब कोई भी पीडिता को डायन कहकर प्रताड़ित नहीं करेगा इस तरह मंच के उन गाँवो में कार्य करने से अब कोई भी महिला को डायन कहने से डरता है |

मनकी बाई (नारी अदालत) :- मानकी बाई का पति शादी – शुदा होते हुए भी दूसरी पत्नी लेके आ गया और मनकी बाई के 2 बेटे है एक 3 वर्ष का है और एक बेटा 10 दिन का बेटा है लेकिन उसका ससुर उसके छोटे बेटे को लेके चले गए और मनकी को उसके पीहर भेज दिया | और मनकी को प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तरगत मकान बना हुआ है तो उसके घर से उसको से निकाल दिया गया | तब उनको महिला मंच का पता चला और नारी अदालत में केस रजिस्ट्रार करवाया नारी अदालत की महिलाओ ने पुलिस के सहयोग से मनकी को उसका बच्चा दिलवाया और उसको पंचायत में सरपंच की मदद से मकान भी दिलवाया और वो महिला मंच में आकर बहुत खुश है |

अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया :-

सुनीता खटीक :-महिला मंच की सक्रीय कार्यकर्ता और अदिवासियों की बिच रहती है तथा कई पीडिता महिलाओ को सहयोग देने के लिए रात – दिन उनको साथ रहकर कार्य कर रही है, बहुत लोगो को सरकारी योजनाओ से लोगो को फायदा दिलवाना

कमला:- कमला स्वय पढाई कर रही है और गाँव में किशोरीयों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्य किया है और उसने अपना बाल विवाह रोका है |

पूजा मेघवाल, सीमा मेघवाल :- पूजा व् सीमा ने अपने गाँव में किशोरीयों ग्रुप बनाया हुआ है इस ग्रुप में सभी किशोरिया निडर है और कोई भी गाँव के लोग महिलाओ व् किशोरियों को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते है अगर किसी को गलत कहना का कोई अधिकार नहीं है अगर गलत कहते है तो किशोरियों का पूरा ग्रुप घटना स्थल पर पहुच जाता है महिला व् किशोरियों को हिंसा से मुक्त करवाने के लिए और साथ ही साथ महिलाओ को जागरूक करने के लिए गाँव में महिला बैठको में भी भाग लेती है | किशोरी ग्रुप के सदस्यों ने अपना बाल – विवाह रोका व् अपनी पढाई पूरी कर रही है |

गुड्डी कंवर :- गाँव में किशोरियों को ऑपन में फोरम भरवा कर शिक्षा से किशोरियों को जोड़नेका कार्य किया व् अपना बाल विवाह रोका है |

सगीता गमेती ममता गमेती :- गाँव में गमेती समाज से होते हुए व् गरीब परिवार से होते हुए इन्होने अपना बाल विवाह का बहिष्कार किया और अभी वो पढाई कर रही है | और यशोदा गमेती को राज्यस्तर पर सम्मानित किया गया व् एक दिन का मंत्री भी बनाया गया और अन्य संस्थानों से भी यशोदा को सम्मानित किया गया|

सुशीला :- गाँव में किशोरियों ने कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पढाई छोड़ दी उनको ऑपन में फोर्म भरवाया और संगीता ने अपना स्वय का बाल विवाह रुकवाया और गाँव में लोगो को शिक्षा के महत्व को समझया

बाबुलाल खारोल (राज्यवास सरपंच) :- ने कहाँ कि हमारे ग्रामवाशी चाहते है की हमारे गाँव में शराब के ठेके नहीं हो तो उसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसका सत्यापन के लिएकार्य किया एवं महिला मंच के सहयोग से कलेक्टर साहब को 14 फरवरी OBRके तहत ज्ञापन दिया गया | राजसमन्द की पंचायत राज्यवास में शराब बंदी के लिए कार्यक्रम करेंगे तब हम आप सभी का सहयोग चाहते है|

फतेह सिंह (सरपंच ओलना खेड़ा) :- महिलाए कभी कमजोर नहीं थी और नहीं है और महिलाओ को कमजोर बनाया गया है और कमजोर बनाया जा रहा है | महिलाओ की केसों पर चर्चा की और कहाँ मुझे बहुत ख़ुशी हुई की महिला मंच इतना अच्छा कार्य कर रहा है |

विनीता श्रीवास्तव प्रधानाध्यापिका (wwf ,B N कॉलेज) :- में कई वर्षो से अलग – अलग क्षेत्रो में कार्य कर रही हु एक महिला होने के नाते हर महिला को अपने आप पर गर्व होना चाहिए की में एक महिला हु | और अपनी बेटी को हमेसा कहो की हम आपके साथ है | किशोरी एवं महिला को आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए ताकि अगर उसके जीवन में कोई समस्या आये तो वो कभी किसी के सामने जूके नहीं और अपने भविष्य के लिए कोई डर नहीं हो की में किया करुँगी में कैसे रहूंगी | लोगो की कारण से अपनी सोच कभी मत बदलो , कभी मत सोचो की आप अपनी जगह पर गलत है आप अपनी जगह पर हमेशा सही होते है |

महिलाओ को अपनी समताओ को पहचाना चाहिए और हम राजसमन्द में रात को 11 से 12 स्कूटी रेली का आयोजन करते है की कोई भी महिला रात को कही भी आने जाने में डरे नहीं|

हमें डर नहीं लगाना चाहिए और हमारा पहनावा हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए| लडकियों को बहुत पढ़ना चाहिए और पूरी आजादी होनी चाहिए हमें कैसे जीना है|

शकुंतला पामेचा (निर्देशक राजसमन्द महिला मंच) हम आज महिला दिवस माना रहे है ये दिवस दुनिया के सभी देशो में महिलाओ को अपनी मांग रखने का दिन है अंतराष्टीय महिला दिवस एक ऐसा कार्यक्रम है जो दुनिया भर में मनाया जाता है इस दिन उन सभी महिलाओ की उपलब्धियों को सराहेंगे जिन्होंने सामाजिक राजनैतिक जीवान में कही न कही अपनी छाप छोड़ी है | और आज हम अपने इस दिवस पर उन सभी बहनो को सलाम करते है जिन्होंने हमारे लिए आगे के लिए रस्ते खोले है |

संघर्ष की एक परम्परा को कायम किया है आओ हम संघर्ष की इस परम्परा को आगे बढ़ाये और महिला दिवस पर इन परम्परा पर जश्न मनाये | हमारी शांति, सम्मान, आनन्द के लिए महिला दिवस की बहुत शुभकामनाए |

और हम बात करेंगे बराबरी की , महिलाओ के साथ जो असमानता होती है उसको हम बदलने के लिए संघर्ष करेंगे | और गैर बराबरी की ख़त्म करके ही दम लेंगे | हम जानते है की महिलाओ की शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों की स्थति अच्छी नहीं है और उनके प्रति जो हिंसा होती है उसमे भी कोई कमी नहीं आई है | इसलिए हम हिंसा सहन नहीं करेंगे हमको जब हमारे हक़ एवं आजादी नहीं मिल जाति है तब तक हमें संघर्ष करना है आज हम नाचेगे गायेंगे ताकि नफरतो को हमें दोस्ती में बदला जाये |हमें हिंसा नहीं शांति चाहिए हमें ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ महिला पुरुष इंसान है और इंसानों की तरह रहे न की देवता या शेतान बनकर रह रहे | तभी ये दुनिया खुबसूरत हो पायेगी इसलिए हमें हिंसा नहीं शांति चाहिए , हमें हिंसा नहीं पेशन चाहिए , हमें हिंसा नहीं राशन चाहिए हमें हिंसा नहीं इज्जत चाहिए हमें हिंसा नहीं सम्मान चाहिए हमें हिंसा नहीं खुशिया चाहिए और हमें सामाजिक कुरूतियों से हमें आजादी चाहिए अशिक्षा से हमें आजादी चाहिए , असम्मान से हमें आजादी चाहिए हमें प्यार ,सम्मान ,और इज्जत के साथ जीना है उसके लिए हमें मिलकर एवं एक जुट होकर रहना होंगा तभी हम सशक्त होकर अपने जीवन को सुखी बना सकती है | इसी अवसर महिलाओ से लोकसभा चुनाव में अपना **वोट अवश्य दे |**

शैक्षणिक अनुदान:-

- छगन लाल स्वरूप चन्द्र चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2000 से 2018 तक बालक – बालिकाओं को अनुदान राशी दी गई |
- बाबेल साहब (पूर्व जज साहब) द्वारा भी वर्ष 2019 शैक्षणिक अनुदान राशी दी गई |
- यश बैंक द्वारा किशोरियों की आगे की शिक्षा के लिए उन्हें शैक्षणिक अनुदान राशी दी गई |

जिससे कई बालक बालिकाए आगे बढ़ी है | अनुदान उन लोगों को दिया जाता है , जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है , जो महिला विधवा है बेसहारा उन महिलाओं के बच्चो को पढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है | अभी तक बहुत से बालक – बालिकाओं ने अनुदान राशी प्राप्त की है | उनमें से कई बच्चें सरकारी और गैरसरकारी नौकरी कर रहे है |

महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र

परिचय

महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र महिलाओ के साथ होने वाली हिंसा,प्रताडना,उत्पीडन से ग्रस्त महिलाओ एंव बालिकाओ को सम्बल प्रदान करना,जिससे कि वे अपने अधिकारो व हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा उके ,साथ ही साथ महिलाओ के साथ होने वाली प्रताडना को समाप्त करना और महिलाओ को अपनी स्वयं की शक्ति का अहसास करना।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र महिलाओ के साथ होने वाली हिंसा ,प्रताड़ना , उत्पीडन से ग्रस्त महिलाओ एवं बालिकाओ को सम्बल प्रदान करना जिससे की वे अपने अधिकारों व् हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके साथ ही साथ महिलाओ के साथ होने वाली प्रताड़ना को समाप्त करना और महिलाओ को अपनी स्वयं की शक्ति का अहसास करना |

उद्देश्य

- महिलाओ के साथ हो रही (आर्थिक , शारीरिक , मानसिक , यौनिक) में उचित सहयोग व् मार्गदर्शन व् कार्यवाही करना |
- महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकरी देना व् अधिकार दिलाना |

क्रम संख्या	कुल केसों की संख्या	निस्तारित	प्रक्रियाधिन
2 मार्च 2019	815	798	17

माह मार्च 2019 के अनुसार आए केसों में विवाह की स्थिति

क्रम संख्या	बाल – विवाह	नाता– विवाह	सही उम्र मे विवाह	अविवाहित	ऐसे विवाह जो बाल –विवाह एवं नाता विवाह दोनों है
1.	313	304	161	00	1^{03}

मार्च 2018 से अप्रेल 2019 के केसों में शिक्षा की स्थिति

क्रम.संख्या	**शिक्षित**	**अनपढ़**	**साक्षर**	**कुल**
1.	292	345	172	815

माह मार्च 2018 से अप्रेल 2019 तक के केसों में स्थती

माह मार्च 2019 तक आए केसों में जाती की स्थति

क्रम संख्या	SC	ST	OBC	सामान्य	अल्पसंख्यक	कुल
1.	283	94	295	116	27	815

राजसमन्द महिला मंच:- विकास , सुरक्षा , समता ,न्याय और अधिकार यह शब्द सामान्य रूप से प्रचलित शब्द बन गए है | परन्तु इन शब्दों को महिलाओ में देखा जाये तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है नारी अदालत परियोजना चलती है, जिसके अन्तरगत पीड़ित महिलाओ को न्याय व् सम्मान दिलाया जाता है | महिला मंच का प्रारम्भ :- 1993 में जिला संदर्भ केंद्र की सहायता से राजसमन्द जिले के महिला विकास कार्यक्रम में महिलाओ को संगठित होने में और संगठित शक्ति को पहचानने में मदद की | महिलाए एकत्रित होकर गाँव और ब्लोक के महिला समूहों को जिला स्तरीय मंच बनाने का निर्णय लिया और 1998 में ' राजसमन्द जिले के गाँव , तहसील , शहर और विभाग की महिलाओ को संगठित करने के कार्य में जूता है |

उद्देश्य :-

- विकास की प्रक्रिया में महिलाओ की भागीदारी बढ़ाने और महिला हिंसा को दूर करने हेतु जनाधार तैयार करना |
- नारी अदालत एवं परामर्श केंद्र द्वारा महिला हिंसा कम करना |
- गरीब महिलाओ आर्थिक विकास हेतु आय संवर्धन के लिए क्रियाएं चलाए

राजसमन्द महिला मंच , राजसमन्द राज विकास संसथान एवं au बैंक के सयुक्त तत्वाधान में " एक अनूठी पहल महिला आरक्षित सिट" कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमे बस में महिलाओं के आरक्षित सिट होती है लेकिन इसकी जानकारी अभी तक ज्यादा लोगो को नहीं है | स्टीकर के माध्यम से लोगो को महिला आरक्षित सिट के लिए जानकारी देंने के लिए बस में स्टीकर लगाना | राजसमन्द महिला मंच की संयोजिका और राजसमन्द जन विकास संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला पामेचा दुवारा सभी अथितियो का स्वागत करते हुए कहा की महिलाओ की स्थति गरिमामयी बनाने के लिए साथ ¯ साथ उनके मुद्दों पर कार्य किया जाता है इसी कर्म मे कई बार गर्भवती छोटे बच्चो को गोद में या बहुत सारा बोझ लिए महिलाये खडी रहती है इसबात से अनजान की सरकार ने उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था बना रखी है और परेशान होती है इसी तरह भीड़ मै कई बार महिलाये और किशोरिया के साथ अपमान जनक तत्व गलत व्यवहार करते है किन्तु महिलाये सकोचवश कुछ बोल नहीं पति है इन सभी परिस्थतियो को देखते हुए कई बार महिलाओ को उनकी सिट पर बिठाने की भी कोशिश की गई लेकिन महिला संकोचवश आपनी सिट का उपयोग नहीं कर सकी इन विषम परिस्थतियो को देखते हुए महिलाओ के लिए आरक्षित स्थान पर अगर महिलाओ का फोटू होगा तो महिलाए आपने स्थान पर बैठ सकेगी अतः इसके सहयोग की लिए जयपुर रोडवेज बस परिवहन अधिकारी तथा जिले के रोडवेज बस अधिकारी श्रीमान जैन सा · से चार माह पूर्व ही पत्र लिखकर और बात करके आपनी मंशा प्रकट करी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और जयपुर से निर्देशन प्राप्त कर लिए इसी बिच रोडवेज के बस कर्मचारियों की भी हड़ताल होने से कार्यकर्म स्थगित हो गया | इसके पश्चात अर्थ की समस्या आई कियोंकि इसका हमारे पास कई बजट नहीं था इसके लिए au बैंक के मेनेजर कब्र साहब से बात की गई जिसे उन्होंने आगे से आदेश लेकर स्वीक्रति दे दी और हमारे चाह अनुसार स्टीकर बन गए बस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् हमने राजसमन्द जिले के अधिकारी जैन

सा · संपर्क किया तो उन्होंने अक्टूम्बर की तारीख दी अत; इस छोटे से उपकम में हमें आप सभी का सहयोग मिला और इतने कम समय में आप सब लोगो ने आकर हमारा उत्साह वर्धन किया उनके लिए आभार व्यक्त किया

कार्य कर्म के मुख्य अतिथि डॉ बजंती लाल बबेल भूतपूर्व सेशन जज कानून के विशेषज्ञ लोक अधिकार मंच एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्यश आपके दवारा संस्था संगठन दुवरा किये गए कार्यो को सराहा गया और कहा की समय ¯समय पर आप लोग विशेष मुद्दे उठा कर अच्छा कम करते हो | उन्होंने रोडवेज पर इस तरह के स्टीकर बना कर लगाने के कार्य को खूब सराहा और संस्था को ऐसे कार्य में कभी आर्थिक सहयोग की जरुरत हो तो उन्होंने कहा की भामाशाहो की कमी नहीं है आप ऐसे नेक कार्य करते रहिये |

कार्यकर्म के अध्यक्ष विधिक प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्र कुमार जी ने भी संस्था के इस कार्य को सराहते हुए प्रशंसा करी उन्होंने कहा की महिला मंच महिला मुद्दों पर पूरा सजग रहता है और आपको कैसा भी सहयोग चाहिये उसे हम आपको दिलवाने का पूरा प्रयास करेगे |

डॉ विनीता श्रीवास्तव जी वर्तमान मै smd college मै व्याख्याता के पद पर कार्य रात है और सामाजिक कार्य करता भी है विशेष रूप सेइस कार्यकर्म मै भाग लेने के लिए में आई हु | कानून तो है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और लोगो को जानकारी नहीं है और है भी तो उष कानून के लिए जागरूक नहीं है सभी की जिम्मिदारी हो की बुजुर्ग है ' बीमार है गर्भवती महिला या बच्चा है तो सिट पर बैठने के लिये कहना आसन है लेकिन निजी जिंदगी मै लाना भी जरुरी है ये पहल राजसमन्द जिले में राजसमन्द जन विकास संस्थान दुवारा की है लेकिन ये पुरे राजस्थान के लिए भी हो सकता है

अनोखा जी कांकरोली के साहित्यकार और कवी है द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद् के अध्यक्षहम जागरूक नहीं है महिलाये माँ जननी हें हम महिलाओ को सम्मान नहीं दिते है ये हमारी कमिया है हमें बालिका शिक्षित करना चाहिए समाज मै कन्या भूर्ण हत्या पर हम ध्यान नहीं देते है शिक्षा से जुद्दा हुआ हु इस

हुआ हु | कथनी और करनी मै समानता होनी चाहिय कोई भी कानून या जानकारी मिडिया की वजय से मिल जाति है लेकिन जब तक आप नहीं जागोगे तब तक उध्दार नहीं होगा ओरत जीवन है सवेदनशील 'ममता ' है समाज को समझाना होगा महिलाओ की स्थति के लिए प्रेम से जहा मुझे बुलाया जाता है वहा निस्वार्थ भाव से चला जता हु | लड़की को संस्कार सिखाते है लेकिन लेकिन कही ना कही हम लड़को को संस्कार देना भूल जाते है

वीणा दिव्वेदी उदयपुर के जनादर्न विद्धियापीठ कॉलेज की प्रधान प्राध्यापिका व सामाजिक कार्य करता महिलाए जो पुरुष को नो माह तक पेट मै रखाती है वो ही पुरुष महिलाओ को मरता है और गालिया देता है ऐसे भी कैसे बेटे है हम इतने सवेदन शील नहीं है बाथरूम होना चाहिये हर बस स्टेंड पर हम हमारे कर्तव्य अभी नहीं निभा पा रहे है महिला और पुरुष दोनों में समानता लानी है हम ही आपने लड़को को ज्यादा छुट देकर कही गुन्डातो नहीं बना रहे है जो आने वाले समाज के के लिए खतरा है। आज काल जो लोग होते हो वो सोचते है की कैसे पैसे कमाऊ लेकिन ये नहीं सोचते है की समाज मै हमारी भूमिका किया है। सवेदन शीलता अगर आ जाये तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरुरत है हम करवा सकते है समय सुनिर्चित करके हमें जानकारी दे देना

श्रीमान काबरा साहब राजसमंद महिला मंच ने जो शुरुआत की है सिट आरक्षित करने के लिए महिला महिला जागरूकता, महिला सशक्ति करने के लिए कोई भी कार्यकर्म हो अगर हमारी सहायता की जरूरत होगी तो हम हमेसा तेयार रहेगे और हमारे अधिकारों के लिए हमें जागरूक होना चाहिये

डॉ विजय खिलानी निशुल्क सेवा देते है अनेक वर्षो से अनेक जन हितेशी कार्य करते आ रहे है रोड वेज बसों मै इतना जागरूक होना चाहिये की बस की जो आरक्षित सिट है उस पर महिला बैठ सके आएगी जागरूकता धीरे धीरे आएगी कोई महिला विदवा हो, उसके पास बच्चे हो, राशन नहीं हो जुटे नहीं हो कपडे नहीं हो कर्पा मुझे जरुर सूचना दे महिलाओ को आगे लाने मै पुरुष साथ दे दोनों के साथ से नए समज की जेंडर से कोई फेक नहीं पड़ता हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते है

कार्यकर्म का समापन ललिता शर्मा दुवारा किया गया बहुत ही हमारे इस कार्यकर्म में आप आये हम आपके बहुत आभारी है

"उमड़ते 100 करोड़ महिला हिंसा के खिलाफ"

राजसमन्द महिला मंच एवं राजसमन्द जन विकास संस्थान द्वारा OBR कार्यक्रम के अन्तरगत 2014 से महिला हिंसा के खिलाफ ये कार्यक्रम करता आ रहा है | पुरे एशिया में इस दिवस को मनाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य – महिलाओ

को समानता का अधिकार मिले और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा से उन्हें छुटकारा मिले | राजसमन्द महिला मंच ,राजसमन्द जन विकास संस्थान राजसमन्द किशोरी मंच द्वारा यह कार्यक्रम शराब बंदी को लेकर मनाया गया है,कियोंकि शराब के कारण महिलाओ पर अनेक प्रकार की हिंसा होती है, जिसके कारण उनका व् उनके बच्चो का जीवन ख़राब हो रहा है | राजसमन्द जिले की राज्यवास पंचायत में भी महिलाए शराब के कारण अनेको प्रकार की हिंसा का सामना कर रही है , जिसके कारण कही परिवार टूट जाते है और महिलाओ व् बच्चो की स्थति बहुत ख़राब हो चुकी है| बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे है जो की उनके भविष्य को लेकर चिंताजनक है | दिनांक 14 फरवरी को राज्यवास पंचायत के सरपंच बाबुलालजी व् ग्रामवासी, राजसमन्द महिला मंच एवं राजसमन्द जन विकास संस्थान की कार्यकर्ता पुष्प सिंघवी, मूली बाई, सबाना प्रवीन , संगीता जाट, यशोदा जी जमना चौहान ,सोनू वैष्णव , गीता कंवर ,मंजुलता देवी ,कैलाश कंवर, भंवर कंवर ,राजसमन्द किशोरी मंच हेमा रावत , जशोदा , सुगना , किशोरियों ने भाग लिया और सहयोगी संघ संस्थान से याकूब जी ने भाग लिया इसमे कुल 150 सहभागियों ने भाग लिया | इन सभी के सयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्ट्रर को ज्ञापन पढ़कर सुनाया गया और राजसमन्द कलेक्टर को ज्ञापन सोंपा गया | कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया की राज्यवास गाँव में मार्च माह में नए ठेके के फोर्म नहीं भरे जायेंगे और मार्च माह से पूर्व ही ठेका बंद करवा दिया जायेगा | प्रशासन द्वारा इस पर कार्य किया जायेगा और जब तक प्रसाशन दवारा इस पर कार्य नहीं किया जायेगा तो हम इसके पीछे लगे रहेंगे और इसका फोलोउप करते करेंगे |

नारी अदालत:- महिला मंच द्वारा नारी अदालत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत महिलाओ के ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से उनको मुक्ति दिलवाने के लिए नारी अदालत कार्यक्रम में दोनों पक्षों से वार्ता की जाती है और दोनों पक्षों में परामर्श कर समझोता करवाया जाता है | केंद्र पर आई हिंसा से पीड़ित महिलाओ को राहत

मार्च माह में नारी अदालत में आये कुल केसों की संख्या

क्रम संख्या	कुल केसों की संख्या	निस्तारित	प्रक्रियाधिन
2 मार्च 2019	79	42	37

सरकारी योजनाओ से दिलाये गए फायदे

क्रम संख्या	सरकारी योजना का नाम	संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1	प्रमाण पत्र	51	51
2	वर्धा पेंशन फार्म	45	45
3	टायलेट	4	4
4	आधारकार्ड	65	65
5	विद्वा पेंशन	43	43
6	परित्यागता पेंशन	1	1
7	विकलांग पेंशन	3	3
8	नरेगा आवेदन	395	395
9	श्रमिक कार्ड	15	15
10	श्रमिक कार्ड	30	30
11	मिड – डे – मिल	21	21
12	पालनहार	28	28
13	राशन	110	110
14	ट्रप आउट को विद्यालय से जोड़ा	1 किशोर 1 किशोरी	2
15	मंद बुद्दी फोर्म भरा	1	1
16	जॉबकार्ड बनवाया	83	83
17	मेट की ट्रेनिग करवाई व् मेट बनवाया	2	2

18	चारागाह विकास के लिए प्रस्ताव	9	9
19	मिस्ट्रोल जरी करवाया	5	5
20	राशन कार्ड बनवाया व् उसमे नाम जुडवाया	2	2
21	बेटी सुकन्या योजना	3	3
22	गैस	15	15
23	ऑपन फोर्म	115	115
24	लाईट कनेक्शन	237	237
25	हेण्डपम्प सही करवाया (पानी की सुविधा)	7 हेण्डपम्प , नल , मोटर	1500
26	स्वच्छता अभियान के अन्तरगत शौचालय	4	4
27	छात्रवृति	3	3
28	प्रधान मंत्री आवास योजना में	60	60
29	केटेगरी 4th	50	50
30	स्वास्थ्य शिविर	6	6
31	मकान का पट्टा दिलवाया	2	2

फाउण्डेशान फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी

नरेगा के अंतर्गत सामलात भूमि के विकास के लिए (चारागाह विकास , नाडी विकास) कार्य के लिए कार्यशालाओं में भाग लिया गया |

child protection and anti human trafficking

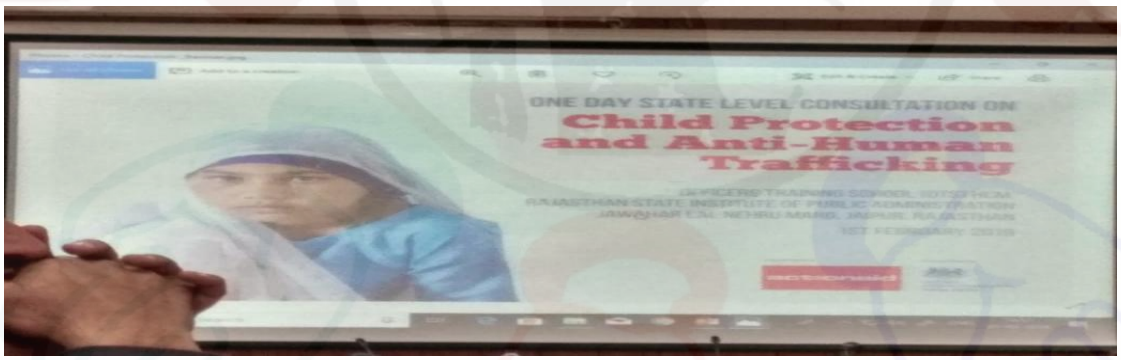

बाल वधुओं पर राज्य स्तरीय पर कार्यशाला

दिल्ली Pld (बाल – विवाह कानून पर विचार विमर्श हेतु)

10 – 11 अक्टूबर जयपुर के विकास अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी में दो दिवसीय गर्ल्स नोट ब्राइड राजस्थान ईकाई एवं राजसमन्द के सामाजिक संस्थाओं के सयुक्तावाधन में नेतृत्वकर्ता लड़कियों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान के 15 जिलों की 30 समाजिक संस्थाओं से 150 लड़कियों ने भाग लिया |

किशोरी मित्र रिव्यू बैठक

किशोरी मित्र रिव्यू बैठक में एजेण्डा

शिक्षा से जोड़कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से10 और 12 कक्षा के फॉर्म भरते हुए किशोर किशोरी एवं कार्यकर्ता

आवासीय किशोरी मित्रो की क्षमतावर्धन कार्यशाला– भाग लेते हुए किशोरी मित्र

किशोरी आवासीय शिविर–

आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण लेती हुई किशोरिया

किशोरियों को योगा करवाते हुए मूली बाई

बाल विवाह एवं शराब मुक्त समाज हो"_जातिपंच के साथ सवांद कार्यक्रम

आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण लेती हुई किशोरिया ड्राइविंग सिखाते हुए किशोरिया

यशोदा गमेती माया भाटGNB कार्यक्रम में भाग लेते हुए